

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा [पार्श्विक प्रवेश]-2017
Bihar Combined Entrance Competitive Examination [Lateral Entry] – 2017

B. C. E. C. E. [LE] – 2017

त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा, द्विवर्षीय पारा मेडिकल एवं द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों के स्नातक अभियंत्रण, स्नातक पारा मेडिकल एवं स्नातक फार्मेसी डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में नामांकन हेतु विवरण-पुस्तिका

शैक्षणिक सत्र : 2017–2018

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

(बिहार सरकार)

आवेदन-पत्र पर्षद कार्यालय में प्राप्ति की अन्तिम तिथि : 16.05.2017
परीक्षा की तिथि : 11.06.2017

BCECE [LE]-2017 से सम्बन्धित प्रमुख सूचनाएँ

<u>क्रम संख्या</u>	<u>विषय वस्तु</u>	<u>कंडिका</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
	अनुलग्नकों की सूची	-	1-2
1.	सामान्य परिचय	1	3
2.	आरक्षण	2	3
3.	संस्थान एवं शाखा परिवर्तन	3	4
4.	विभिन्न संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें	4	4
5.	परीक्षा के विषय एवं अवधि	5	4
6.	परीक्षा के पाठ्यक्रम	6	5
7.	आवेदन-पत्र / विवरण पुस्तिका तथा परीक्षा शुल्क	7	5
8.	Online आवेदन पत्र की प्रविष्टियों से सम्बन्धित अन्य सूचनायें	8	7
9.	शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा एवं अन्य अर्हतायें तथा सूचनाएँ	9	10
10.	संस्थान, पाठ्यक्रम एवं सीटें	10	11
11.	संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्ष्विक प्रवेश) के सम्बन्ध में निर्देश	11	11
12.	संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्ष्विक प्रवेश) के उपरान्त	12	13
13.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ	13	13
14.	परिशिष्ट-1 (सारणी-1, सारणी-2 एवं : उपलब्ध सीटों का व्योरा	-	14-16
	सारणी-3)		
	परिशिष्ट-2 : अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप, पारा मेडिकल ग्रुप एवं फार्मसी पाठ्यक्रम ग्रुपों का मार्ग दर्शक सिलेबस ।	-	17-29
	परिशिष्ट-3 : अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप एवं पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप का विकलांगता से सम्बन्धित मार्गदर्शिका ।	-	30-31
	परिशिष्ट-4 : (OMR से सम्बन्धित निर्देश)	-	32-35
	परिशिष्ट-5 : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा निर्धारित कार्यक्रम।	-	36
	परिशिष्ट-6 : फोटो-शिट	-	37

LIST OF ENCLOSURES (CHECK-LIST)

अनुलग्नकों की सूची (जाँच-सूची)

Sn. क्रम सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नकों का विवरण	Person/ organisation from where obtainable व्यक्ति / संगठन जहाँ से प्राप्य
1.	<p>(A) (i) Mark Sheets of Part I, II & III of Three Year Engg. Diploma Examinations तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा परीक्षाओं - पार्ट-I, II एवं III के अंक पत्र</p> <p>(ii) Admit Card of Part-III Engg. Diploma Exam. पार्ट-III इंजीनियरिंग डिप्लोमा परीक्षा का प्रवेश पत्र ।</p> <p>(iii) In case of candidates appearing in Part-III Engg. Diploma Examination / final Para Medical Diploma Examination, a certificate be furnished mentioning the branch and that the result is awaited त्रिवर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा पार्ट-III की परीक्षा / द्विवर्षीय पारा मेडिकल डिप्लोमा अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी को शाखा अंकित करते हुए परीक्षाफल घोषित नहीं होने का प्रमाण-पत्र देना होगा।</p> <p>(B) (i) Mark Sheets of Part I & II of Para Medical Diploma Examination. पारा मेडिकल डिप्लोमा परीक्षा यथा - पार्ट-I एवं II के अंक पत्र।</p> <p>(ii) Admit Card of final Para medical Diploma Examination. पारा मेडिकल डिप्लोमा परीक्षा के अंतिम परीक्षा का प्रवेश पत्र ।</p> <p>(C) (i) Mark Sheets of Part I & II of Pharmacy Diploma Examination. फार्मसी डिप्लोमा परीक्षा यथा - पार्ट-I एवं II के अंक पत्र।</p> <p>(ii) Admit Card of final Pharmacy Diploma Examination. फार्मसी डिप्लोमा परीक्षा के अंतिम परीक्षा का प्रवेश पत्र ।</p>	<p>Relevant State Board of Technical Education सम्बद्ध राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्यट</p> <p>Relevant State Board of Technical Education सम्बद्ध राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्यट</p> <p>Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य</p> <p>Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य</p> <p>Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य</p> <p>Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य</p>
2.	Matric/ equivalent certificate and Admit Card as proof of age and Identity मैट्रिक / समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो	Board / Equivalent organisation बोर्ड / समकक्ष संगठन
3.	*Caste certificate *जाति प्रमाण-पत्र	Concerned C.O. of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी के द्वारा विधिवत निर्गत।
4.	Character certificate चरित्र प्रमाण-पत्र	Head of the Institution last attended जिस संस्थान में अन्तिम रूप से नामांकित हो, उसके प्राचार्य
5.	*Income certificate (If needed, to be submitted at the time of counselling) *आय प्रमाण-पत्र (आवश्यकतानुसार काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है)	Concerned C.O. of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी के द्वारा विधिवत निर्गत।
6.	Photograph फोटोग्राफ	Self attasted and countersigned by Father / Mother / Guardian स्वअभिप्रमाणित तथा पिता / माता / अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
7.	<p>*(i) Certificate for native of Bihar बिहार के स्थायी / मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र</p> <p>*(ii) Refugee Registration Certificate शरणार्थी निबन्धन प्रमाण-पत्र</p> <p>*(iii) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the Govt. of Bihar इस आशय का प्रमाण-पत्र कि आवेदक के माता / पिता बिहार सरकार के कर्मी (Employee) हैं</p>	<p>Concerned C.O. of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी के द्वारा विधिवत निर्गत।</p> <p>Concerned DM / Refugee Registration Officer सम्बन्धित जिला पदाधिकारी / शरणार्थी निबन्धन पदाधिकारी</p> <p>Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्ता</p>

* **NOTE : To be furnished, wherever applicable.**

Sn. क्रम सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नकों का विवरण	Person/ organisation from where obtainable व्यक्ति / संगठन जहाँ से प्राप्य
	<p>* (iv) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of Govt of India and posted in Bihar or an employee of any Public Sector Undertaking of Govt. of India in Bihar इस आशय का प्रमाण-पत्र कि आवेदक के माता / पिता भारत सरकार के कर्मी हैं एवं बिहार में पदस्थापित हैं या भारत सरकार के बिहार में अवस्थित किसी उपक्रम के कर्मी हैं</p> <p>* (v) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the United Nations Organisation and that he/ she is at present posted in Bihar इस आशय का प्रमाण-पत्र कि आवेदक के माता / पिता युनाईटेड नेशन्स ऑर्गनाइजेशन के कर्मी हैं एवं वे संप्रति बिहार में पदस्थापित हैं</p> <p>* (vi) Such candidates who have not passed qualifying Examination from Bihar but claim eligibility on the ground of permanent residence in Bihar in respect of their parents, must also furnish a certificate from the Institution where he/ she is studying for the qualifying examination indicating the permanent address as recorded in the Admission Register of that Institution ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार से अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुए हों किन्तु जिनके माता / पिता बिहार में स्थायी निवास के कारण अपनी पात्रता का दावा करते हों, अर्हक परीक्षा में जिस संस्थान से सम्मिलित हुए हों उसके नामांकन रजिस्टर में उनका जो स्थायी पता दर्ज हो, उसके उल्लेख के साथ एतद् सम्बन्धी प्रमाण-पत्र भी दें</p> <p>* (vii) Certificate for Disabled Quota (DQ) विकलांग कोटा (DQ) प्रमाण-पत्र</p>	<p>Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्ता</p> <p>Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्ता</p> <p>Principal of the Institution concerned सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य</p> <p>As per Para 2.2 of this prospectus इस विवरण पुस्तिका की कौडिका- 2.2 के अनुसार</p>

* **NOTE : To be furnished, wherever applicable.**

बिहार सरकार

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा [पार्श्वक प्रवेश]-2017

त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा, द्विवर्षीय पारा मेडिकल एवं द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा
पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों के स्नातक अभियंत्रण, स्नातक पारा मेडिकल एवं स्नातक फार्मेसी
डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में नामांकन हेतु विवरण-पुस्तिका

आवेदक इस विवरण-पुस्तिका में दी गई सभी सूचनाओं को भली-भांति पढ़ लें ।

1. सामान्य परिचय :

त्रिवर्षीय डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम, द्विवर्षीय पारा मेडिकल एवं द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः डिग्री अभियंत्रण पाठ्यक्रम, पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु चयन, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा [पार्श्वक प्रवेश]-2017 (Bihar Combined Entrance Competitive Examination [Lateral Entry]-2017) के परीक्षाफल से तैयार की गई मेधा सूची से योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर होगा जिसका संचालन बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद करेगा।

- “पाठ्यक्रम” से अभिप्राय है स्नातक स्तर के अभियंत्रण / पारा मेडिकल / फार्मेसी डिग्री पाठ्यक्रम ।
- “परीक्षा” से अभिप्राय है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद द्वारा आयोजित “बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा [पार्श्वक प्रवेश]-2017” ।
- “पर्वद” से अभिप्राय है “बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद” ।
- “सरकार” से अभिप्राय है “बिहार सरकार” ।
- “परीक्षा नियंत्रक” से अभिप्राय है “परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद”, जो सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं ।
- “बिहार” से अभिप्राय है पुनर्गठित बिहार जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-4 (Clause 4 of Bihar Reorganisation Act-2000) के अनुसार पारिभाषित है ।

2. आरक्षण :

- 2.1 (क) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा [पार्श्वक प्रवेश]-2017 का संचालन राज्य सरकार द्वारा गठित ‘बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद’ करेगा जिसके आधार पर नामांकन हेतु चयन एवं सीट आवंटन के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए **online** आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये आरक्षण-संबंधी अधि नियम/ नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा ।
- (ख) जो आवेदक बिहार राज्य के स्थायी निवासी (Permanent resident) हो उन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिये उचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो, उनके लिये प्रत्येक संस्थान की शाखा वार सीटों पर नामांकन हेतु इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए **online** आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत् हैं :

क्रम सं.	कोटि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	16 %
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	1 %
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	18 %
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	12 %
5.	आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG)	3 %

शेष 50 % अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (General Category : GEN) की समझी जायेंगी।

- (ग) जो आवेदक बिहार के स्थायी / मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में उपरोक्त कडिका 2.1 (ख) में कर्णांकित की गई आरक्षण कोटि की सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 11/आ.-विविध-50/2011 सा० 2710 दिनांक 26.08.2011 के अनुसार पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।
- (घ) कडिका 2.1(ग) के संबंध में अगर राज्य सरकार कोई अन्य आदेश इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए online आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक बिहार सरकार जारी करती है तब उसी राज्यादेश के अनुरूप आरक्षण प्रावधान लागू होगा।
- (ङ) online आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत SC, ST, EBC एवं BC की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) निर्धारित की जायेगी।
- (च) (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें सामान्य (खुली गुणा गुण) कोटि में मनोनुकूल पाठ्यक्रम / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपने सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेरिट पर पाठ्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा।
- (ii) इस सन्दर्भ में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय यदि कोई दिशा-निर्देश जारी करती है तो विचारोपरान्त उसे अद्यतन रूप से लागू किया जा सकता है।

2.2 विकलांग कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

विकलांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों का तीन प्रतिशत सीटें विकलांग कोटा के लिये अगर आरक्षित हैं तो वे निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी।

इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार का सम्बन्धित विभाग कोई अन्य आदेश, इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए online आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक, जारी करती है तब उसी आदेश के अनुरूप, विकलांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन में आरक्षण-प्रावधान लागू होगा।

2.2.1 विकलांग कोटा के अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना दावा अंकित कर बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा पदाधि कारी / बोर्ड द्वारा विकलांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। इस प्रमाण-पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फुल साईज का फोटो चिपका होना चाहिये।

2.2.2 विकलांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर विकलांग आवेदक, जो भारत सरकार द्वारा निर्गत निःशक्त व्यक्ति अधिनियम -1995 के प्रावधानों के अन्दर आते हैं, वे उन्हीं पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जिसके लिये स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित विकलांगता के अनुरूप उनकी विकलांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी। डॉक्टरी जाँच हेतु डाक्टरों की एक समिति द्वारा योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस डॉक्टरी जाँच के लिये अलग से शुल्क लगेगा।

2.3 सैनिक कर्मचारी कोटा (Service Men's Quota, i.e., SMQ) के अन्तर्गत अतिरिक्त आरक्षित सीटें :

सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के अन्तर्गत आरक्षण इस पारिषदक प्रवेश परीक्षा के लिये नियमानुसार अनुमान्य नहीं है।

3. संस्थान एवं शाखा परिवर्तन :

संस्थान एवं या शाखा परिवर्तन संबंधी सभी मामलों पर पर्सद द्वारा निर्णय लिया जायेगा। पर्सद का निर्णय अन्तिम होगा। उसके बाद संस्थान एवं या शाखा परिवर्तन संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों / प्राचार्यों अथवा संबंधित निदेशालयों द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा पर्सद के निर्णयों का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

4. विभिन्न संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें :

विभिन्न संस्थानों के पाठ्यक्रमों तथा उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 की सारणी-1, सारणी-2 एवं सारणी-3 में दिया गया है। बिहार सरकार / भारत सरकार द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों / शाखाओं / विषयों में, सीटों की कुल संख्या में फेर-बदल करने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु साक्षात्कार के पूर्व दे दी जायेगी।

5. परीक्षा के विषय तथा परीक्षा की अवधि :

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पारिषदक प्रवेश)-2017 के लिये अभियंत्रण एवं पारा मेडिकल पाठ्यक्रम गुणों के लिए अलग-अलग एक प्रश्न पत्र में परीक्षा देनी होगी। ये प्रश्न पत्र वस्तुपर (Objective) तथा दो घंटे पन्द्रह मिनट की अवधि के होंगे।

5.1 अभियंत्रण पाठ्यक्रम गुण : अभियंत्रण पाठ्यक्रम गुण में कुल तीन विषय खंड होंगे- यथा (i) गणित, (ii) इंजीनियरिंग मेकेनिक्स एवं (iii) अंग्रेजी। प्रत्येक खंड में चार-चार अंक के 50 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये एक अंक की कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र के विषय खंड, प्रश्न संख्या, पूर्णांक तथा परीक्षा की अवधि निम्नलिखित होगी :

विषय खंड	प्रश्न संख्या	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि	समय
(i) गणित	50	200		
(ii) इंजीनियरिंग मेकेनिक्स	50	200	2 घंटा 15 मिनट	2.00 अपराह्न से 4.15 अपराह्न
(iii) अंग्रेजी	50	200		

- 5.2 पारा मेडिकल पाठ्यक्रम गुप :** पारा मेडिकल पाठ्यक्रम गुप में कुल तीन विषय खंड होंगे - यथा (i) एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी, (ii) पैथोलॉजी, माइक्रोबायलॉजी एवं बायो केमिस्ट्री और (iii) अंग्रेजी। प्रत्येक खंड में चार-चार अंक के 50 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये एक अंक की कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र के विषय खंड, प्रश्न संख्या, पूर्णांक तथा परीक्षा की अवधि निम्नलिखित होगी :

विषय खंड	प्रश्न संख्या	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि	समय
(i) एनाटॉमी , फिजियोलॉजी	50	200	2 घंटा 15 मिनट	2.00 अपराह्न से 4.15 अपराह्न
(ii) पैथोलॉजी, माइक्रोबायलॉजी एवं बायो केमिस्ट्री।	50	200		
(iii) अंग्रेजी	50	200		

- 5.3 फार्मैसी पाठ्यक्रम गुप :** फार्मैसी पाठ्यक्रम गुप में कुल तीन विषय खंड होंगे - यथा (i) Pharmaceutics-I + अन्य विषय (खंड-I), (ii) Pharmaceutics-II + अन्य विषय (खंड-II), और (iii) अंग्रेजी। प्रत्येक खंड में चार-चार अंक के 50 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये एक अंक की कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र के विषय खंड, प्रश्न संख्या, पूर्णांक तथा परीक्षा की अवधि निम्नलिखित होगी :

विषय खंड	प्रश्न संख्या	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि	समय
(i) Pharmaceutics-I, Pharmaceutical Chemistry-I, Pharmacognosy, Human Anatomy and Physiology, Biochemistry and Clinical Pathology, Health Education and Community Pharmacy.	50	200	2 घंटा 15 मिनट	2.00 अपराह्न से 4.15 अपराह्न
(ii) Pharmaceutics-II, Pharmaceutical Chemistry-II, Pharmacology and Toxicology, Pharmaceutical Jurisprudence, Drug Store and Business Management, Hospital and Clinical Pharmacy.	50	200		
(iii) अंग्रेजी	50	200		

6. परीक्षा के पाठ्यक्रम :

परीक्षा के लिये विषयानुसार पाठ्यक्रम (मार्गदर्शक) परिशिष्ट-2(i), परिशिष्ट-2(ii) एवं परिशिष्ट-2(iii) में दिये गये हैं। परीक्षा के प्रश्न सामान्यतः अभियंत्रण स्नातक, पारा मेडिकल स्नातक एवं फार्मैसी स्नातक के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के स्तर के होंगे। परीक्षा में प्रश्न अंग्रेजी में पूछे जायेंगे और उसके नीचे उनका हिन्दी अनुवाद होगा। पूछे जानेवाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) होंगे।

- 7. आवेदन प्रपत्र, विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क :** BCECE[LE]-2017 में सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका (Prospectus) पृष्ठ के Website : www.bceceboard.com से Download कर प्राप्त कर सकते हैं। Online आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी पृष्ठ के उक्त वेबसाइट पर जा कर "Apply for B.C.E.C.E. (LE)-2017" Link पर Click करें। इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो निर्देश (Instruction) दिखेगा, उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें।

- (I) **Step - One (Registration) :** इस परीक्षा हेतु Registration (निबन्धन) के लिए सारी सूचनायें (Informations) Step-1 के अन्तर्गत कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन-प्रपत्र को सही-सही अभ्यर्थी द्वारा भर कर देना होगा। उसके उपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर / रजिस्टर्ड email-ID पर अभ्यर्थी को Successful Registration का एक Message भेजा जायेगा जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर होगा। अभ्यर्थी अपने प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा अपने द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरे गये Password किसी को नहीं बतलाये अन्यथा बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड किसी भी तरह की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

उपरोक्त विधि से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं स्वयं द्वारा दिये गये Password को भविष्य में प्रयोग (जरूरत)के लिए अभ्यर्थी निश्चित रूप से सुरक्षित रख लें। अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नम्बर जो उपरोक्त विधि से प्राप्त हुआ है वही उनका User name होगा।

- (II) **Step - Two (Examination Fee) :** जिन अभ्यर्थियों ने ऊपर वर्णित Step One की प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लिया है वे अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं Password द्वारा अपने एकाउन्ट में Login करने हेतु Sign In का बटन Click करें। सफलता पूर्वक Login करने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा शुल्क जमा करने की निम्नांकित दो प्रक्रियाएँ हैं :-

- (a) **बैंक चालान के माध्यम से भुगतान :** अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क बैंक चालान के माध्यम से जमा करना चाहते हैं तो "Print Challan" का बटन Click करें। ऐसा करने पर उन्हें बैंक चालान की तीन प्रतियाँ कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त होगी, जिनको वे Download कर लें। ये बैंक चालान की प्रतियाँ जो क्रमशः बैंक की प्रति, बोर्ड की प्रति एवं अभ्यर्थी की प्रति होगी, के प्रयोग से कैंरा बैंक की किसी शाखा में निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा शुल्क के बैंक चालान के माध्यम से जमा करने हेतु आवश्यक विवरणी नीचे दिया गया है।

- निर्धारित परीक्षा शुल्क केनरा बैंक में जमा करने के बाद अभ्यर्थी को केनरा बैंक से "Paid चालान" की बोर्ड प्रति एवं अभ्यर्थी की प्रति प्राप्त होगी। बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु रु. 60/- (साठ रुपये) की अतिरिक्त राशि का भुगतान अभ्यर्थी को करना होगा।
- (b) **ऑन लाइन भुगतान** : अगर परीक्षा शुल्क का भुगतान Online करना चाहते हैं तो "Online Payment" Link को Click करें। तत्पश्चात किसी भी बैंक के Net Banking / Debit Card / Credit Card जो वेबसाइट पर Listed है, के द्वारा Transaction Processing Charge एवं Service Tax के भुगतान के साथ अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- (c) सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 2200/- (दो हजार दो सौ) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।
- (III) **Step - Three (Personal Information)** : सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद "Fill the Personal Information" link को Click करें और जैसा कि कम्प्यूटर स्क्रीन पर Personal Information से सम्बन्धित Entries required है पूरी तरह भरें। उच्च कंट्रास्ट का रंगीन / श्वेत-श्याम पासपोर्ट साईज अपना फोटो एवं अपना हिन्दी एवं अंग्रेजी के हस्ताक्षर आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर Upload करें। फोटो Placard के साथ (जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि अंकित हो) खिचवाया हुआ ही प्रयोग में लाना आवश्यक है। उपरोक्त रूप से Personal Information भरने के बाद Step-3 की प्रक्रिया पूरी करने हेतु Submit बटन को Click करें।
- (IV) **Step - Four (Educational Information)** : "Fill the Educational Information" link को Click करें और अपनी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सूचनाओं (Educational Informations) को कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकतानुसार भरें। Educational Informations भरने के बाद Submit बटन को Click करें ताकि Step-4 की प्रक्रिया पूरी हो जाये।
- नोट** : (i) Stepwise Online Application Final Submit करने से पहले कम्प्यूटर स्क्रीन पर Preview Page को अच्छी तरह जाँच लें ताकि आप सुनिश्चित हो जायें कि आपके द्वारा भरी गयी सारी प्रविष्टियाँ (Entries) सही है। अगर अभ्यर्थी को अपनी प्रविष्टियों में कोई सुधार / संशोधन अथवा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे Submission से पहले ऐसा कर सकते हैं। अगर सभी सूचनायें (Information) सही तरह प्रविष्ट (Enter) कर ली गयी हैं तभी अन्तिम रूप से प्रत्येक Step को Submit करने के लिए अपना Declaration देकर Submit करें। अन्तिम रूप से Online Application Form Submit करने के बाद, Application Form में परिवर्तन / संशोधन का प्रावधान नहीं है।
- (ii) अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि Application Form के Submission के बाद इसे न तो Withdraw किया जा सकेगा और न ही जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाने का अनुरोध स्वीकार किया जायेगा।
- (iii) सभी Step की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध Application Form के Part-A और Part-B का दो प्रतियों में Download कर निश्चित रूप से प्राप्त कर लें। एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखते हुए दूसरी प्रति नीचे लिखे अनुसार पर्सद कार्यालय भेंजे।
- (iv) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए पर्सद उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (V) (i) यदि अभ्यर्थी को Online Application Form भरने के उपरान्त पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में / फोटो / हस्ताक्षर Upload करने में गलती हुई है तो उसे सुधार करने हेतु Edit करने का मौका दिनांक **30.04.2017** से दिनांक **02.05.2017** तक दिया जायेगा।
- (ii) Online Application Form में सुधार (Edit) केवल वैसे अभ्यर्थी ही कर सकते हैं, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना Online Application Form पूर्ण रूप से भर लिया हो।
- (iii) अभ्यर्थी अपने Online Application Form में सुधार (Edit) करने हेतु अपने Registration No. एवं Password को डालें और उसके बाद "Sign In" बटन पर Click कर अपने Account में Login करें तथा आवश्यक सुधार कर Submit करें।
- (VI) **Dispatch of Application Forms, Enclosures and Paid Challan by Registered Post / Speed Post** : Online भरे गये Application Forms (Part-A और (Part-B) की Hard Copy जिसे अभ्यर्थी ने Download कर प्राप्त कर लिया है, को भेजने की प्रक्रिया निम्नांकित विधि से पूरी करें :-
- (a) पासपोर्ट साईज का वही फोटो जिसे अभ्यर्थी ने स्कैन कर Online भरा है उसे hard copy के निर्धारित स्थान पर चिपकायें।
- (b) निर्धारित स्थान पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर करें। अंग्रेजी के हस्ताक्षर में Capital Letters का प्रयोग वर्जित है।
- (c) यथास्थान जैसा कि Application Form के Part-B में Printed है अपनी ही हस्तलिपि में घोषणा (Declaration) को भरें।
- (d) Paid बैंक चालान की बोर्ड कॉपी (मूल प्रति) Application Form के साथ Attach (नत्थी) करें।
- (e) सभी वांछित प्रमाण पत्रों / अंक पत्रों की छाया प्रतियों, जो आपके दावे को सम्पुष्ट करते हैं, को Attach करें।
- (f) उपरोक्त विधि से तैयार एवं निर्दिष्ट अनुलग्नकों के साथ पूर्ण किये गये Application Forms को रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से भेजने वाले लिफाफे के उपर "Application for BCECE (LE)-2017" मोटे अक्षरों में लिख दें। साथ ही उसके नीचे जिस Course Group में नामांकन हेतु आवेदन दे रहे हों, उस Course Group (eg. Engg. Course अथवा Para Medical Course) अथवा Pharmacy Course) का नाम Bold Letter में अवश्य लिखें।
- (g) Registered Post / Speed Post से Application Form भेजने के लिये जो लिफाफा (Envelope) प्रयोग में लाया जायेगा उसका साईज 17 cm x 30 cm एवं कलर पीला (Yellow) होना चाहिए ताकि उसे सम्बन्धित परीक्षा हेतु आसानी से पहचाना / अलग किया जा सके।

(h) एक लिफाफे में सिर्फ एक ही अभ्यर्थी का आवेदन (Application) होना चाहिए।

(i) आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) को सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ लिफाफे में रख कर, अच्छी तरह लिफाफे को चिपका दें और उसे निम्न पते पर भेजें “ **Controller of Examination, B.C.E.C.E. Board, I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, P.O.-B.V.College, Patna - 800014** ”

नोट : हाथो-हाथ या कोरियर सेवा से **Application Form** प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है।

(VII) **BCECE [LE]-2017** से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां :-

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (i) Online Registration starting date | : 06.04.2017 |
| (ii) Online Registration closing date | : 26.04.2017 (11.59 P.M.) |
| (iii) Last date of payment through challan | : 29.04.2017
(upto working hours of the bank) |
| (iv) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card with final submission of the online Application Form of Registered candidate | : 29.04.2017 (11.59 P.M.) |
| (v) Online Editing of Application Form | : 30.04.2017 to
2.05.2017(11.59 P.M.) |
| (vi) The hard copy of the online submitted application form (Part-A & Part-B) alongwith paid Bank Challan & enclosures dispatched by Registered / Speed Post must reach at the specified address mentioned in para 4(i) above latest by | : 16.05.2017 (5.00 P.M.) |
| (vii) Issue of Online Admit Card | : 17.05.2017 |
| (viii) Proposed date of Examination | : 11.06.2017 (Sunday) |

(VIII) अपूर्ण रूप से भरा गया या बदलाव अथवा छेड़-छाड़ किया गया Online आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(IX) आवेदन-पत्र के मूल्य में ही परीक्षा शुल्क सम्मिलित है।


(X) अन्य किसी माध्यम से आवेदन-पत्र या परीक्षा के लिये शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(XI) परीक्षा शुल्क की राशि एक बार स्वीकार कर लेने के बाद किसी भी हालत में आवेदक को नहीं लौटायी जायेगी।

8. Online आवेदन पत्र की प्रविष्टियों (Entries) से सम्बन्धित अन्य सूचनायें :

8.1 फोटोग्राफ :

आवेदन पत्र (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) के निर्दिष्ट स्थानों पर स्कैन / चिपकाये गये फोटो का आकार पासपोर्ट साईज (3.5 से.मी. x 4.5 से.मी.) श्याम-श्वेत / रंगीन, उच्च कंट्रास्ट एवं एक ही निगेटिव / स्नैप (Snap) से बना या एक ही तरह का होना चाहिए। फोटो को सामने से एक तख्ती (Placard) के साथ, जिस पर आवेदक का नाम, तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो, के साथ खिंचवाये गये हो, को ही प्रयोग में लिया जाना आवश्यक है। डिजिटल या अन्य विधि से खिंचावाया गया फोटो जो कुछ समय के बाद धूमिल या विलुप्त हो जाती है उसे चिपकाना पूर्णतया वर्जित है।



फोटो खिंचवाने की तिथि 01.01.2017 से पहले की नहीं होनी चाहिए।

8.2 फोटोग्राफ में दोनो कान नजर आनी चाहिए। फोटोग्राफ अस्पष्ट (ओभर एक्सपोज्ड / अन्डर एक्सपोज्ड या डार्क) नहीं होने चाहिए और उनको खिंचवाते समय अनावश्यक रूप से टोपी (कैप) एवं काला / रंगीन चश्मा (डार्क कलर्ड स्पैक्टैकल्स) नहीं लगाया होना चाहिए या अन्य प्रकार से अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

8.3 Downloaded आवेदन पत्र (पार्ट-A एवं पार्ट-B) पर निदेश के अनुसार फोटो चिपकाने के बाद, आवेदक निर्धारित स्थान पर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में करें। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा स्वहस्तलिपि में लिखी गयी घोषणा के नीचे उनके पिता/ माता या अभिभावक की घोषणा के लिए उनका हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

8.4 नाम :

आवेदक, आवेदन पत्र (पार्ट-A एवं पार्ट-B) के निर्दिष्ट स्थानों पर अपना नाम, माध्यमिक, परीक्षा समिति/ समकक्ष परीक्षा के रिकॉर्ड (अभिलेख) में अंकित वर्तनी (spelling) के अनुसार ही लिखें ।

8.5 पता :

स्थायी पता वही होना चाहिये जो आवेदक के आवासीय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित हो ।

पत्राचार/ स्थायी पता में पिन कोड नम्बर का व्यवहार जरूर करें। पत्राचार का पता ऐसी जगह का हो कि आपके पास पत्र जल्द-से-जल्द पहुँच जाए । पत्राचार का पता गलत होने की स्थिति में पत्र के लौट आने पर परीक्षा-पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। बाद में पत्राचार हेतु पता बदलने के सम्बन्ध में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8.6 कोटि (Category) :

आरक्षण हेतु उचित कोटि में स्थान पाने के लिए आवेदन-पत्र में निर्धारित स्थान पर उचित कोटि अवश्य अंकित करें तथा कम्प्यूटर फॉर्म [Form No.-2] के निर्धारित स्थान में निम्नलिखित संकेत (code) के अनुसार भरें :

कोटि (Category)	संकेत (Code)
(i) General Category (वैसे आवेदक जो SC/ ST/ EBC/ BC में से किसी आरक्षण कोटि में दावा नहीं करते हों)	GEN
(ii) Scheduled Caste	S C
(iii) Scheduled Tribe	S T
(iv) Extremely Backward Caste	E B C
(v) Backward Caste	B C

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों द्वारा आरक्षण का लाभ लेने हेतु, अपने आवेदन-पत्र में जिस आरक्षण कोटि को अंकित किया गया हो उसको सम्पुष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र (अभिप्रमाणित प्रति या अभिप्रमाणित फोटो प्रति) संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा आरक्षित कोटि के लिए विचार नहीं किया जायेगा । यह निर्धारित संलग्न मॉडल-प्रपत्र के अनुसार ही होना चाहिए ।

8.7 आवेदक अपने आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर आरक्षण के दावे के लिए आरक्षण की जिस कोटि (category) को अंकित करेंगे और तदनुसार निर्धारित प्रमाणपत्र संलग्न करेंगे, वही कोटि परीक्षा एवं सीट/ संस्थान आवंटन प्रक्रिया हेतु अंतिम रूप से मान्य होगी। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा । यदि कोई आवेदक अपने आवेदनपत्र में निर्धारित स्थान पर अंकित आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित प्रमाणपत्र संलग्न नहीं करता है अथवा निर्धारित स्थान पर आरक्षण कोटि अंकित नहीं करता है, तो उसे सामान्य (GEN) कोटि में समझा जायेगा । आवेदक की किसी गलती/ असावधानी के फलस्वरूप उसके किसी दावे के हनन होने का उत्तरदायित्व उसी आवेदक का ही होगा । यदि आवेदन प्रपत्र पार्ट A एवं पार्ट B में भिन्न-भिन्न कोटि अंकित होगा तो आवेदन पत्र पार्ट A में अंकित कोटि ही अंतिम रूप से मान्य होगा ।

8.8 जन्म-तिथि :

जन्म-तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार क्रमवार तिथि, महीना तथा वर्ष अंग्रेजी अंकों में लिखें । जन्म-तिथि वही हो जो माध्यमिक परीक्षा (मैट्रिक परीक्षा) या समकक्ष दसवीं परीक्षा के लिए अभिलिखित हो ।

8.9 जिला कोड :

आवेदनपत्र में निर्धारित स्थानों पर जिला का कोड निम्नलिखित के अनुसार भरें :

क्रमांक	जिला	कोड	क्रमांक	जिला	कोड
1.	पटना	01	22.	समस्तीपुर	22
2.	भोजपुर	02	23.	मधुबनी	23
3.	बक्सर	03	24.	सहरसा	24
4.	रोहतास	04	25.	मधेपुरा	25
5.	भभुआ	05	26.	सुपौल	26
6.	नालन्दा	06	27.	पूर्णिमा	27
7.	गया	07	28.	कटिहार	28
8.	नवादा	08	29.	किशनगंज	29
9.	औरंगाबाद	09	30.	अररिया	30
10.	अरवल	10	31.	भागलपुर	31

11. जहानाबाद	11	32. बांका	32
12. सारण	12	33. मुंगेर	33
13. सिवान	13	34. बेगुसराय	34
14. गोपालगंज	14	35. खगड़िया	35
15. वैशाली	15	36. जमुई	36
16. मुजफ्फरपुर	16	37. लखीसराय	37
17. सीतामढ़ी	17	38. शेखपुरा	38
18. शिवहर	18	39. बिहार के बाहर	
19. पूर्वी चम्पारण	19	(i) झारखंड	98
20. पश्चिमी चम्पारण	20	(ii) अन्य सभी स्थान	99
21. दरभंगा	21		

8.10 लिंग (Sex) :

निम्नांकित के अनुसार निर्धारित स्थान में लिंग अंकित करें :

Male - M
Female - F

8.11 आवासीय विवरण :

आवेदन-पत्र में उचित आवासीय विवरण भरें। इस संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्ष्विक प्रवेश)-2017 में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है कि आवेदक आवासीय विवरण में उल्लिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प की पुष्टि करते हों। इसके लिए निर्धारित प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करें [देखें कॉडिका- 9 (ग)]।

8.12 घोषणा :

(क) आवेदक को आवेदन पत्र के अपेक्षित स्थान पर अपनी घोषणा स्वहस्तलिपि में लिखकर आवेदन के निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। घोषणा एवं हस्ताक्षर के लिये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) का प्रयोग वर्जित है।

(ख) आवेदनपत्र में अपेक्षित स्थान पर घोषणापत्र आवेदक के पिता/ माता या अभिभावक (यदि पिता / माता जीवित न हों) द्वारा भी अपनी हस्तलिपि में भरा तथा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

8.13 जाति प्रमाण पत्र :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर उसकी छाया प्रति (अभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक है। संलग्नित जाति प्रमाण-पत्र में प्रमाणित जाति आवेदक के मूल आवेदन-पत्र में अंकित आरक्षण कोटि के लिये सुसंगत हो।

8.14 Online भरे गये आवेदन पत्र (पार्ट-A एवं पार्ट-B) की Hard copy जो सिर्फ निबन्धित डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया हो स्वीकार किया जायेगा। कार्यालय में हाथों-हाथ या कुरियर सेवा द्वारा भेजा गया आवेदन पत्र किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8.15 अनुलग्नकों की सूची (List of Enclosures) :

जरूरी प्रमाणपत्रों (विवरण पुस्तिका/ आवेदनपत्र के अनुसार) की सत्यापित फोटो प्रतियाँ ही आवेदन के साथ संलग्न करें। सभी मूल प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय ही लायें। इस विवरण-पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में प्रमाण-पत्रों की सूची वर्णित है। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो पृष्ठ संख्या-2 के 9(i) के अनुसार मूल प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय ही देना आवश्यक है।

यदि आप बिहार के मूल निवासी नहीं हैं तो पृष्ठ संख्या-1 एवं 2 के 9(ii) से 9(vi) तक के विकल्पों में से किसी एक, जो आपके लिए लागू हो, हेतु प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है।

विद्यालय / महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र (School / College Leaving Certificate) आवेदन-पत्र के साथ भेजना आवश्यक नहीं है। आवेदन-पत्र के साथ किसी भी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति / प्रतियाँ ही भेजें। प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका भी ध्यान रखें कि जो प्रमाण-पत्र विवरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या-1 एवं 2 के निर्देशानुसार जिस सक्षम व्यक्ति/ पदाधिकारी/ संस्थान से प्राप्त करना है, उसी से प्राप्त करें। अन्य सूत्रों से प्राप्त प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। सभी अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्रों पर अपना पूरा हस्ताक्षर अवश्य कर दें।

8.16 आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक जिस संस्थान में पढ़ता हो / अंतिम पढ़ाई की हो, उसके प्राचार्य द्वारा सत्यापित होना चाहिए और उस पर प्राचार्य की सील भी रहनी चाहिए।

8.17 आवेदनपत्र भेजने के लिए आवश्यक निर्देश :

आवेदन पत्र भेजने के पहले आप सावधानीपूर्वक यह देख लें कि किसी प्रकार अपूर्ण या अशुद्ध तो नहीं रह गया है क्योंकि ऐसे अपूर्ण/ अशुद्ध आवेदनपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र (पार्ट-A एवं पार्ट-B) को सबसे ऊपर रख कर इन्हें लिफाफा में भरकर निबन्धित डाक द्वारा The Controller of Examination, Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board, I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, P.O.-Veterinary College, Patna - 14. पते पर कॉडिका-7(v) में दिये गये निर्देश के अनुसार भेजें।

निबन्धित डाक, स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया आवेदन-पत्र ही स्वीकार किया जायेगा। कार्यालय में हाथों-हाथ या कुरियर सेवा द्वारा भेजा गया आवेदन-पत्र किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8.18 आवेदन पत्र की Hard copy पहुँचने की अन्तिम तिथि :

Online भरे गये आवेदन पत्र की Hard copy पहुँचने की अन्तिम तिथि 16.05-2017 के 5.00 बजे अपराह्न तक है। इस तिथि और समय के बाद जो आवेदन-पत्र बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यट कार्यालय में पहुँचेगा उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। डाक की गड़बड़ी के कारण निर्धारित तिथि के बाद विलम्ब से प्राप्त आवेदनपत्र के अस्वीकार किये जाने के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यट उत्तरदायी नहीं होगा।

9. शैक्षणिक योग्यता, आयु-सीमा एवं अन्य अर्हताएँ :

9.1 अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप के लिये :-

(क) शैक्षणिक :

- Passed Diploma examination from an AICTE approved Institution; with at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) in appropriate branch of Engineering / Technology.
 - Passed B.Sc. Degree from a recognized University as defined by UGC, with at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) and passed XII standard with mathematics as a subject.
 - Provided that the students belonging to B.Sc. Stream, shall clear the subjects Engineering Graphics / Engineering Drawing and Engineering Mechanics of the first year Engineering Programme alongwith the second year subjects.
 - Provided that the students belonging to B.Sc. Stream shall be considered only after filling the supernumerary seats in this category with students belonging to the Diploma stream.
- खण्ड III डिप्लोमा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु साक्षात्कार के समय तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।
 - डिप्लोमा अभियंत्रण उत्तीर्ण किसी भी शाखा के छात्रों को डिग्री अभियंत्रण के 3rd Semester के किसी भी शाखा में, प्रवेश मेधा एवं विकल्प के आधार पर दिया जा सकता है।
 - होटल टेक्नोलॉजी, फार्मसी एवं Architecture में डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को क्रमशः होटल टेक्नोलॉजी, फार्मसी एवं Architecture के शाखाओं हेतु ही योग्य माना जायेगा।

(ख) आयु सीमा :

प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा नहीं है।

(ग) आवासीय :

केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं और

- जिनके माता-पिता बिहार के निवासी (Native) हैं।
अथवा
- जिनके माता-पिता बिहार में निर्बंधित शरणार्थी हैं।
अथवा
- जिनके माता-पिता रहनेवाले दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार के कर्मचारी हैं।
अथवा
- जिनके माता-पिता पुनर्गठन पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार / झारखंड राज्य में अभी भी स्थानान्तरणीय है।
अथवा
- जिनके माता-पिता बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों अथवा संस्थानों (Public Sector Undertaking of Govt. of India) के कर्मचारी हैं।
अथवा
- जिनके माता-पिता राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं।

(घ) शारीरिक :

प्रवेश के लिए चुने गये आवेदकों की डॉक्टरों जाँच होगी। जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा। इस जाँच के लिए अलग से शुल्क लगेगा।

9.2 पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप के लिए :

(क) शैक्षणिक :

- पारा मेडिकल डिग्री कोर्स में इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नामांकन के लिए बिहार सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय पारा मेडिकल डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्ण।
- द्विवर्षीय पारा मेडिकल डिप्लोमा कोर्स की अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं ; परन्तु साक्षात्कार के समय तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।
- अभ्यर्थी जिस पारा मेडिकल डिग्री कोर्स / पाठ्यक्रम से द्विवर्षीय पारा मेडिकल डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण है, उसी कोर्स / पाठ्यक्रम

से सम्बन्धित उच्चतर पारा मेडिकल डिग्री के द्वितीय वर्ष में नामांकन हेतु वे योग्य समझे जायेंगे ।

- iv. पारा मेडिकल डिग्री कोर्स / पाठ्यक्रम से जिस कोर्स / पाठ्यक्रम से अभ्यर्थी ने उत्तीर्णता प्राप्त की है, उस कोर्स / पाठ्यक्रम का उच्चतर पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम अगर उपलब्ध नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी इस पारिषदक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य नहीं समझे जायेंगे ।

(ख) आयु सीमा :

पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में नामांकन के लिए परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

(ग) आवासीय : कंडिका- 9.1 (ग) के अनुसार ।

(घ) शारीरिक : कंडिका- 9.1 (घ) के अनुसार ।

9.3 फार्मैसी डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप के लिए :

(क) शैक्षणिक :

- फार्मैसी डिग्री पाठ्यक्रम में इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नामांकन के लिए बिहार सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय डिप्लोमा फार्मैसी कोर्स में उत्तीर्ण।
- द्विवर्षीय फार्मैसी डिप्लोमा कोर्स की अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं ; परन्तु साक्षात्कार के समय तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

(ख) आयु सीमा :

फार्मैसी डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में नामांकन के लिए परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

(ग) आवासीय : कंडिका- 9.1 (ग) के अनुसार ।

(घ) शारीरिक : कंडिका- 9.1 (घ) के अनुसार ।

10. संस्थान-पाठ्यक्रम, सीटें :

10.1 संस्थानवार विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं कुल सीटों की संख्या परिशिष्ट-1 (सारणी-1 , सारणी-2 एवं सारणी-3) में देखें । इनमें यदि बिहार सरकार / भारत सरकार द्वारा कोई फेरबदल किया गया तो इसकी सूचना साक्षात्कार के समय दे दी जायेगी ।

10.2 पारा मेडिकल डिग्री के विभिन्न कोर्सेज / पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन अगर स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा संसूचित की जाती है तो नामांकन हेतु साक्षात्कार से पूर्व इसकी सूचना दे दी जायेगी ।

11. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पारिषदक प्रवेश)-2017 के संबंध में निर्देश :

11.1 प्रवेश पत्र :

- (क) प्राप्त आवेदनपत्र / प्रपत्रों की जाँच के बाद प्रथम दृष्टया / औपबधिक रूप से उपयुक्त पाये गये आवेदकों के लिए परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर्षद के Website: www.bceceboard.com से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है, जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्य (valid) होगा। प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर आवेदक को चाहिये कि वह उसकी पीठ पर लिखे निर्देश अवश्य पढ़ ले।

प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रवेश पत्र (Admit Card) को पाते ही उसमें अंकित सभी सूचनाओं / प्रविष्टियों की पूरी जाँच कर लें और उनमें यदि कोई त्रुटि हो तो परीक्षा नियंत्रक, बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना में परीक्षा की तिथि से 5 (पाँच) दिन पहले तक किसी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न के बीच आकर अनिवार्य रूप से वांछित संशोधन हेतु सम्पर्क करें, अन्यथा इस तिथि के बाद कोई संशोधन नहीं किया जायेगा और प्रवेश पत्र (Admit Card) में किसी प्रकार की त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा ।

- (ख) इस विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट-6 में दिये गये प्रपत्र (Format) पर अभ्यर्थी अपने ऑन लाईन भरे गये आवेदन पत्र पर लगाये गये अपने फोटो की बड़ी पोस्ट कार्ड साई फोटो प्रति यथा स्थान चिपकाने तथा उसे सही-सही भर कर एवं उस पर यथा स्थान अपना हस्ताक्षर कर प्रतियोगिता परीक्षा के समय परीक्षा कक्ष में निश्चित रूप से ले जायें और वीक्षक (Invigilator) के पास अवश्य जमा करेंगे ।

प्रवेशपत्र के निर्धारित स्थानों पर परीक्षा के समय परीक्षार्थी को पूरा हस्ताक्षर करना आवश्यक है । परीक्षार्थी का हस्ताक्षर वीक्षक के समक्ष, परीक्षा केन्द्र की प्रति पर भी होना आवश्यक है।

11.2 प्रश्नपत्र अंग्रेजी और हिन्दी में रहेंगे तथा परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी में देंगे (अंग्रेजी विषय सिर्फ अंग्रेजी में)। परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर निर्देशानुसार देंगे । उत्तर पत्रक का नमूना (Sample OMR Type Answer Sheet) तथा सम्बन्धित निर्देश अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है। वास्तविक प्रश्नों की संख्या नमूने के उत्तर पत्रक में दिये गये प्रश्नों की संख्या से भिन्न हो सकती है।

11.3 परीक्षा के क्रम एवं अवधि में प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उत्तर-पत्रक की पीठ पर दिये गये गद्यांश को नीले / काले बॉल प्वाइंट कलम से अपनी हस्तलिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करना अत्यावश्यक है अन्यथा उनके उत्तर-पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा।

11.4 परीक्षा केन्द्र :

परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र उनके प्रवेशपत्र पर अंकित रहेगा।

11.5 मेधा सूची :**11.5.1 (क) अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप :**

- अंग्रेजी विषय के लिये केवल क्वालिफाइंग 35 प्राप्तांक होगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि इस विषय में केवल उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता रहेगी किन्तु मेधा निर्धारण में प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश परीक्षा के उपरांत मेधा निर्धारण में गणित तथा इंजिनियरिंग मेकेनिक्स विषयों में प्राप्तांकों को ही सम्मिलित किया जायेगा।
- परीक्षा के इन दो विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जायेगी। अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध स्थानों पर नामांकन किया जायेगा।
- मेधा-सूची / परीक्षाफल तैयार करने में किसी प्रकार का टंकण या किसी अन्य प्रकार की गलती होने से नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(ख) पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप :

- अंग्रेजी विषय के लिये केवल क्वालिफाइंग 35 प्राप्तांक होगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि इस विषय में क्वालिफाइंग न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता होगी किन्तु मेधा निर्धारण में प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश परीक्षा के उपरांत मेधा निर्धारण में एनाटोमी एवं फिजियोलॉजी विषय खंड तथा पैथोलॉजी, माइक्रो बायलॉजी एवं बायो-केमेस्ट्री विषय खंड में प्राप्तांकों को ही सम्मिलित किया जायेगा।
- परीक्षा के इन दो विषय खंडों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जायेगी। पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों में योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध सीटों पर नामांकन किया जायेगा।
- मेधा-सूची / परीक्षाफल तैयार करने में किसी प्रकार का टंकण या किसी अन्य प्रकार की गलती होने से नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(ग) फार्मैसी डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप :

- अंग्रेजी विषय के लिये केवल क्वालिफाइंग 35 प्राप्तांक होगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि इस विषय में क्वालिफाइंग न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता होगी किन्तु मेधा निर्धारण में प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश परीक्षा के उपरांत मेधा निर्धारण में **Pharmaceutics-I** + अन्य विषय (खंड-I), एवं **Pharmaceutics-II** + अन्य विषय (खंड-II), विषय खंड में प्राप्तांकों को ही सम्मिलित किया जायेगा।
- परीक्षा के इन दो विषय खंडों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जायेगी। फार्मैसी पाठ्यक्रम में योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर उपलब्ध सीटों पर नामांकन किया जायेगा।
- मेधा-सूची / परीक्षाफल तैयार करने में किसी प्रकार का टंकण या किसी अन्य प्रकार की गलती होने से नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

11.5.2 अगर दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों का जोड़ समान हो तो उनका मेधाक्रम स्तर-क्रमवार निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित किया जायेगा;

क्रम	स्तर-क्रम	अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप	पारा मेडिकल पाठ्यक्रम ग्रुप	फार्मैसी पाठ्यक्रम ग्रुप
(1)	प्राप्तांकों का जोड़ समान होने पर	खंड-I (गणित विषय) के प्राप्तांक के अनुसार	खंड-I (एनाटोमी फिजियोलॉजी) के प्राप्तांक के अनुसार	खंड-I (Pharmaceutics-I तथा अन्य) के प्राप्तांक के अनुसार
(2)	स्तर क्रम-1 का जोड़ समान होने पर।	खंड-II (इंजीनियरिंग मेकेनिक्स) के प्राप्तांक के अनुसार	खंड-II (पैथोलॉजी, माइक्रोबायलॉजी एवं बायोकेमेस्ट्री) के प्राप्तांक के अनुसार	खंड-II (Pharmaceutics-II तथा अन्य) के प्राप्तांक के अनुसार
(3)	स्तर क्रम-2 का जोड़ समान होने पर।	जिसकी जन्म तिथि पहले हो	जिसकी जन्म तिथि पहले हो	जिसकी जन्म तिथि पहले हो

11.6 उत्तर-पत्रकों/ उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation), दुबारा जोड़ (Retotalling) आदि के लिए आवेदन नहीं लिये जायेंगे और न कोई इससे संबंधित पत्राचार ही स्वीकार्य होगा।

11.7 जो आवेदक अपने मूल आवेदनपत्र/ प्रपत्रों में या परीक्षा के समय या उत्तर पत्रकों/ उत्तर-पुस्तिकाओं में या प्रतियोगिता परीक्षा/ नामांकन की किसी भी प्रक्रिया में अनुचित तरीके अपनाते पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनको परीक्षा/ नामांकन प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। ऐसे निष्कासित आवेदकों को बी.सी.ई.सी.ई.बी. द्वारा संचालित बी.सी.ई.सी.ई. (पार्श्विक प्रवेश) की अगली तीन प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

बिहार परीक्षा अधिनियम-1981 के अनुसार किसी परीक्षा में अनुचित तरीके से अभिप्रेत है कि किसी लिखित या मुद्रित सामग्री से या किसी व्यक्ति से किसी भी रूप में सहायता लेना या देना अथवा सहायता लेने या देने का प्रयास करना।

12. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्ष्विक प्रवेश)-2017 के उपरान्त :

- 12.1 (i) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्ष्विक प्रवेश) के उपरान्त संबंधित मेधा सूची के अनुसार आवेदकों को कॉउन्सेलिंग से सम्बन्धित सूचना उचित समय पर डाक द्वारा या बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड के वेब साइट " www.bceceboard.com " पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जायेगी। मेधा- सह-विकल्प के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके मेधाक्रम पर उपलब्ध संस्थान / पाठ्यक्रम में से स्वेच्छानुसार संस्थान / पाठ्यक्रम के चयन का अवसर दिया जायेगा। कॉउन्सेलिंग Online अथवा Offline निर्णयानुसार सम्पन्न किया जायेगा।
- (ii) चयनोपरान्त आवंटन आदेश उपलब्ध रिक्तियों एवं बिहार सरकार के आरक्षण नियम जो इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए Online आवेदन पत्र की प्रक्रिया आरम्भ करने की तिथि तक लागू हैं, के अनुसार निर्गत किया जायेगा (देखें कंडिका 2)। आरक्षित वर्ग में नामांकन हेतु प्रत्येक संस्थान को एक इकाई माना जायेगा।
- (iii) प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों तथा उनकी पहचान (Identity) की छान-बीन एवं जाँच के पश्चात अन्तिम रूप से योग्य पाये गये सभी अभ्यर्थियों को आवंटन आदेश के अनुसार निर्धारित तिथि तक डॉक्टरी जाँच कराना होगा और योग्य पाये जाने पर निश्चित रूप से चयनित संस्थान / पाठ्यक्रम में नामांकन करा लेना होगा।
- (iv) परीक्षाफल / मेधासूची की तैयारी एवं प्रकाशन के दौरान छपाई में किसी प्रकार की भूल के आधार पर उम्मीदवार नामांकन हेतु आवंटन के लिये हकदार नहीं होंगे।

12.2 नामांकन शुल्क :

चयनित आवेदकों को नामांकन के समय कितनी रकम जमा करनी पड़ेगी, इसकी यथासम्भव जानकारी साक्षात्कार पत्र में दे दी जायेगी।

13. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

- 13.1 परीक्षा-संबंधी सभी कार्य एवं मेधा सूची इत्यादि का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा। पर्षद द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से लिये गये परीक्षा-संबंधी सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे।
- 13.2 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें।
- 13.3 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं में यदि कोई संशोधन/ परिवर्तन होगा या कोई अतिरिक्त सूचना होगी तो उसे आवेदकों को उनके साक्षात्कार के समय या इसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा।
- 13.4 महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र (College Leaving Certificate) नामांकन के समय लाना पड़ेगा।
- 13.5 बी.सी.ई.सी.ई.(पार्ष्विक प्रवेश)-2017 की विवरण पुस्तिका / आवेदन पत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम / सूचना को परिवर्तित / विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है।
- 13.6 नामांकन प्रक्रिया समाप्ति की घोषित तिथि के बाद किसी भी संबंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम/ ब्रांच में किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर नहीं भरी जायेंगी।
- 13.7 समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से तथा प्रकाशित मेधा- सूची में सम्मिलित आवेदकों को पत्रों द्वारा आवश्यक सूचना / सूचनायें दी जाती रहेंगी। उत्सुकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र कृपया न लिखें, क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा।
- 13.8 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षापूर्व / परीक्षा की अवधि / परीक्षा उपरान्त निर्गत निर्देश, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित सूचना / नियम इस विवरण पुस्तिका के ही भाग होंगे।
- 13.9 इस परीक्षा के लिये यदि किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो उसके लिये उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।
- 13.10 अगर कोई अभ्यर्थी, इस परीक्षा के पूर्व, परीक्षा में या परीक्षा के उपरान्त, मेधा सूची प्रकाशन के बाद या / एवं नामांकन होने के पश्चात् कभी भी गलत / त्रुटिपूर्ण या नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, कदाचार में लिप्त होने अथवा इम्प्रसोनेशन का दोषी पाया जाता है या परीक्षा कक्ष में मौबाईल / इलेक्ट्रॉनिक गैजेट / ब्लूटूथ का उपयोग करते अथवा उसके / उनके साथ पकड़ा जाता है तो नामांकन हेतु उसकी / उनकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी और उसके / उनके विरुद्ध वैधिक कार्रवाई के साथ उसे / उन्हें अगले तीन वर्षों तक पर्षद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित (Debar) कर दिया जायेगा।
- 13.11 मेधा-सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्च से स्वयं कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में, प्रमाण पत्रों एवं पहचान की जाँच आदि के लिये निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु वे अपना दावा खो देंगे।
- 13.12 कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में मूल प्रमाण पत्रों / अभिलेखों की जाँच आदि के लिये अभ्यर्थी के स्वयं केवल उपस्थित हो जाने पर ही नामांकन हेतु उसका कोई दावा नहीं बनेगा।
- 13.13 अगर भूलवश किसी अभ्यर्थी की परीक्षा देने की अनुमति मिल जाती है जो अन्यथा नहीं मिलनी चाहिए थी और नामांकन के पूर्व या उसके पश्चात् किसी भी समय उस भूल का पता चलता है तो वह मेधा-सूची में सम्मिलित होने के बावजूद नामांकन हेतु अपना दावा / अधिकार खो देगा। अगर उस सम्बन्ध में कोई वैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में उस मामले में अन्तिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी का नामांकन-आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।
- 13.14 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत हो जाने से ही नामांकन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगर यह पता चलता है कि किसी अभ्यर्थी को निर्धारित अर्हता नहीं है या उसमें कोई ऐसी अयोग्यता पायी जाती है जिस कारण नामांकन हेतु उसकी पात्रता की पुष्टि नहीं होती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- 13.15 इस प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन तथा आवेदन से संबंधित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर ही दायर किये जायेंगे और मान्य होंगे। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के लिए परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेगी अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे।

परिशिष्ट-1 (सारणी-1)

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्ष्विक प्रवेश)-2017 के लिये अभियंत्रण ग्रुप में उपलब्ध सीटों का व्योरा

(सत्र 2016 पर आधारित)

Branchwise Statement of Total Available Seats in Different Colleges

Sl. No.	Institute	Civil Engg.	Computer Sc. & Engg.	Electronics & Communication Engg.	Information Technology	Mechanical Engg.	Electrical Engg.	Leather Technology	Electrical & Electronics	Total
1	B.C.E., Bhagalpur	6	8	8	0	9	9	0	0	40
2	M.I.T., Muzaffarpur	12	0	8	8	12	12	3	0	55
3	Motihari Engg. College, Motihari	6	6	0	0	6	0	0	6	24
4	Gaya Engg. College, Gaya	12	12	0	0	12	0	0	12	48
5	Darbhangha Engg. College, Darbhanga	12	12	0	0	12	0	0	12	48
6	Nalanda College of Engg. Chandi	12	12	0	0	12	0	0	12	48
7	J.P.I.T., Chapra	12	12	0	0	12	0	0	12	48
8	B.C.E., Bakhtiyarpur, patna	12	12			12			12	48
9	S.I.T., Sitamarhi	12	12			12			12	48
10	R.R.S.D. College of Engg., Begusarai	12	12			12			12	48
11	S.S. College of Engg., Sasaram	12	12			12			12	48
12	B.P.N. College of Engg., Madhepura	12	12			12			12	48
13	Katihar College of Engg., Katihar	12	12			12			12	48
Total of Sanctioned Seats		144	134	16	8	147	21	3	126	599

नोट.1. संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉन्सोलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा ।

ii. विकलांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं ।

iii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काऊन्सोलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी ।

iv. उपर्युक्त सीटें अभाताशिय से स्वीकृत की प्रत्याशा में औपबन्धित रूप से दिखायी जा रही हैं ।

परिशिष्ट-1 (सारणी-2)**बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्ष्विक प्रवेश)-2017 के लिये पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप में उपलब्ध सीटों का व्योरा**

Note : BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl. No.	Institution /College	Name of the Course	Total seats	Gen-eral	SC	ST	EBC	BC	RCG
1.	Public Health Institution, Patna	Bachelor of Medical Laboratory Technology	10	05	02	-	02	01	-
2.	Public Health Institution, Patna	Bachelor of Operation Theatre Technology	10	05	02	-	02	01	-
3.	Public Health Institution, Patna	Bachelor of Radio Imaging Technology	10	05	01	1	01	02	-
4.	Public Health Institution, Patna	Bachelor of Ophthalmic Technology	10	05	01	-	02	01	1
5.	Patna Medical College, Patna	Bachelor of Medical Orthotic & Prosthetics Course	(शैक्षणिक सत्र 2017 में, मेडिकल आर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक्स पाठ्यक्रम में नामांकन स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के निदेशानुसार ही हो सकेगा।)						
TOTAL			40	20	06	01	07	05	01

नोट: i. संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।

ii. विकलांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।

iii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।

iv. उपर्युक्त सीटें सम्बन्धित प्राधिकार से स्वीकृति की प्रत्याशा में औपबन्धित रूप से दिखायी जा रही हैं। भविष्य में संस्थान / संस्थानों की मान्यता रद्द होने / नये संस्थानों की मान्यता प्राप्त होने तथा पाठ्यक्रम की अनुमोदित सीटों में बढ़ोतरी / घटोतरी की सूचना यथासाध्य नामांकन हेतु कॉउन्सेलिंग के पूर्व दे दी जायेगी।

परिशिष्ट-1 (सारणी-3)

**बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्वक प्रवेश)-2017 के लिये फार्मेसी डिग्री
पाठ्यक्रम ग्रुप में उपलब्ध सीटों का व्योरा**

Note : BCECE Board/ State Govt. reserves their right to add new Institutions and seats in this statement at any time for which information will be provided at the time of counselling.

Sl. No.	Institution /College	Name of the Course	Total seats
1.	M.I.T., Muzaffarpur,	B. Pharma	02
2.	Govt. Pharmacy Institute, Agam Kuan, Patna.	B. Pharma	06
TOTAL			08

नोट: i. संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सिलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा ।

ii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सिलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी ।

iii. भरी जाने वाली बी.फार्मा की उपरोक्त सीटें सक्षम प्राधिकार / फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इन्डिया द्वारा अनुमोदित है ।

परिशिष्ट-2 (i)

**बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश)-2017 के लिये अभियंत्रण
पाठ्यक्रम ग्रुप का मार्गदर्शक पाठ्यक्रम**

विषय खण्ड-(I)

MATHEMATICS :

1. **Solid Geometry** : Cartesian, Cylindrical, Polar, Spherical Polar Co-ordinates, Direction ratios and direction cosines, equations of Planes and Straight lines shortest distance, Co-ordinate transformations, Spheres, Cones, Cylinders, Ellipoids, Paraboloids and Hyperpoloid, Standard equations. With illustration, tangent, Planes and normals.
2. **Differential Calculus** : Review of Limit. Continuity and differentiability of functions of a Single Variable with terminology, Properties of Continuous functions, geometrical illustrations, applications of differentiation to approximate computations, Successive differentiation, Leibnitz rule, Rolle's theorem, Cauchy's mean value theorem (Lagrange mean value theorem as a special case). Taylor and Maclaurin expansions, L-Hospital rule, Review of maxima and minima of function of Single Variable, Concavity and Convexity of a Curve, Points of inflexion, asymptotes and Curvature. Limit, Continuity and differentiability of function, geometrical interpretations, differentials, derivatives of composite and implicit function, derivative of higher orders and their Commutativity, Euler's theorem on homogeneous function. Taylor expansion of fuctions of several variables, maxima and minima of functions of several variables. Lagrange method of multipliers.
3. **Integral Calculus** : Riemann integrals (upper and lower sums), definite integral as the limit of a sum, Fundamental theorem of integral calculus, mean value theorems, evaluation of definite integrals, reduction formula, convergence of improper integrals, tests of convergence, beta and gamma functions, elementary properties, differentiation under integral sign, differentiation of integrals with variable limits, Leibnitzrule, integrals dependent on a parameter applications, Rectification, double and triple integrals, computation of surfaces and volumes, change of variables in double integrals, Jacobean transformations, integrals dependent on parameters application.
4. **Differential Equations** : First order equation variable separable, exact, homogeneous, linear and Bernoulli's form, second order equations with constant coefficients, Euler equations, methods of their solution, Dependence and independence of Solutions, wronskian systems of first order equations (Simple type).
5. **Vector Calculus** : Scalar and vector fields, level surfaces, directional derivative, gradient, curl, divergence, laplacian, line and surface integrals, theorem of green, Gauss and stokes, Orthogonal Curvilinear coordinates, Infinite Series; Sequence and series their convergence and divergence, test of convergence, Power Series - uniform and absolute convergence.
6. **Matrices** : Algebra of matrices, vector space, linear dependence of vectors, rank and inverse of a matrix, solutions of algebraic equations, consistency conditions, eigen value and eigen vectors, similarity transformation reduction to a diagonal matrix.
7. **Fourier Series** : Its convergence, Drichlet conditions, half range series.

विषय खण्ड-(II)

ENGINEERING MECHANICS :

1. **Introduction** : Idealization of Mechanics, concept of Rigid Body. External Forces [Body forces & Surface Forces], Laws of Mechanics.
2. **Vector Methods** : Equality and Equivalence of vectors, Free and Bound Vectors, Principle of Transmissibility of forces, Moment of a force about a point and about a line, couple and moment of a couple, couple moment as a free - vector, Addition and subtraction of couples.
3. **Various Systems of Forces** : Statically Equivalent Force Systems, Simplest Equivalent of a System of forces.
4. **Equilibrium** : Force analysis, Free Body Diagram, Equations of equilibrium and their applications to

various system of forces, Plane Trusses.

5. **Friction** : Friction on dry surfaces, static, Kinetic and rolling friction, applications to inclined planes, wedge and blocks and belts and pulleys.
6. **Kinematics and Kinetics of a Particle** : Rectilinear and Curvilinear translations, Normal and tangential components of acceleration, Projectile motion on a smooth vertical curve.
7. **Impulse and Momentum** : Linear Impulse and linear momentum, Central Impact of elastic, semi-elastic & Plastic bodies.
8. **Kinematics and Kinetics of Rigid Bodies** : Angular Velocity and angular acceleration, Effective Forces on a rigid body, D'Alembert's Principle-Application to Highways and Railway-tracks, Instantaneous centre of rotation, compound pendulum, centre of percussion, Rotation of Rigid bodies, Rolling motion, Plane motion of rigid bodies, simple application - Four bar mechanism.
9. **Work, Energy and Power** : Work done by forces and couples, Potential, Elastic and kinetic energy, work energy, conservation of energy, concept of power and efficiency.

विषय खण्ड-(III)

TECHNICAL ENGLISH :

1. **Grammar and Comprehension** : (a) Subject - Verb concord (b) Tense (c) Voice (d) Synthesis (e) Common Errors (f) Vocabulary, Unseen Passage will be set to test the language skills mentioned above.
2. **Business Correspondence** : (a) Drafting Official and Business Letters (b) Drafting Circulars and Official Orders / Instructions (c) Drafting Minutes and Agenda of the Meeting.
3. **Elementary Spoken English** : Elementary theory of phonetics.
4. **Sentence and Paragraph Writing.**
5. **Report Writing** : (i) Importance of Reports in the Present day Industrial Set-up (ii) Classification of Reports (iii) Writing of Reports :- (a) Format (b) Mechanics of language.
6. **Technical Description of things and Processes.**
7. **Precis Writing.**
8. **Spoken English.**

परिशिष्ट-2 (ii)**INDICATIVE SYLLABUS FOR PARA-MEDICAL COURSE GROUP
OF BCECE(LE)-2017****विषय खण्ड-(I)****ANATOMY & PHYSIOLOGY :****I. Anatomy :**

- 1) Introduction of bones and muscles
- 2) Different Vital Organs:-
 - i) Respiratory organ
 - ii) Circulatory organ
 - iii) Digestive organ
 - iv) Reproductive organ
 - v) Liver & Spleen
 - vi) Excretory organ
 - vii) Central Nervous organ
 - viii) Sense organ

3) Embryology

II. Physiology :

- 1) Introduction- Definition
- 2) Basic knowledge of various system :-
 - i) Cardio-Vascular system
 - ii) Respiratory
 - iii) Digestive
 - iv) Excretory
 - v) Reproductive
 - vi) Endocrine
 - vii) Lymphatic
 - viii) Central Nervous
 - xi) Circulatory
- 3) Special Senses:-
 - i) Auditory system
 - ii) Olfactory
 - iii) Visual
 - iv) Tactile sensation
 - v) Taste sensation
- 4) Pulse, B.P.- Systolic & Diastolic Blood Pressure, Heart sound (Normal & Abnormal), Cyanosis, Edema and Temperature regulation.
- 5) Skin.

विषय खण्ड-(II)**PATHOLOGY, MICROBIOLOGY & BIOCHEMISTRY :****I. Pathology :**

- 1) General Pathology- Introduction
- 2) Hematology:-
 - i) Haemoglobin:- a) Estimation
b) Other details

- ii) E.S.R.: a) Estimation
b) other details
- iii) Complete Blood Count (C.B.C)
- iv) Blood of its functions
- v) Blood Banking
- vi) Blood coagulation
- vii) Haemoopoesosis
- viii) Anemia's
- ix) Heamoglobinopathy
- 3) Clinical Pathology:-
 - i) Body fluid
 - Urin; Stool & Cerebro-Spinal Fluid
 - a) Collection
 - b) Normal Values
 - c) Physical, Chemical and Microscopic Examination
 - Other Body Fluid
 - a) Collection
 - b) Normal Values
 - c) Physical, Chemical and Microscopic Examination and
 - d) Transuded and Exudates

II. Microbiology

- 1) Introduction
- 2) Bacteriology of water, food
- 3) Bacteriology of Milk, Pasteurization of Milk
- 4) Lab Diagnosis of:-
 - i) Staphylococcal infection
 - ii) Streptococcal infection
 - iii) Diphtheria
 - iv) Meningitis
 - v) Typhoid fever
 - vi) Cholera
 - vii) Tuberculosis
 - viii) Bacillary dysentery
 - xi) Septicemia
- 5) Methods of Colony count
- 6) Disposal of Bio-Medical waste
- 7) Sterilization
- 8) Culture-Media
- 9) Identification methods of Bacteria by colony character and Stunning & Motility tests
- 10) Microbial world and structure of Mien be
- 11) Antibiotic sensitivity testing
- 12) Morphological variations and classification of bacteria
- 13) Physiology and growth requirement of bacteria
- 14) Anaerobiosis methods
- 15) Disposal of laboratory waste
- 16) Methods of inclusion of culture media from different samples

III. Bio-Chemistry :

- 1) Introduction of Bio-chemistry:-
 - a) pH indicator
 - b) Ionization of water buffer, pH value of solution using.
 - c) Definition and preparation of reagent
- 2) General Bio-chemistry:-
 - i) Collection & recording of bio-chemical specimen, separation of serum / plasma preservation and disposal of biological materials
 - ii) Chemical examination of urine and stool
 - iii) Chemical examination of other body fluids & transuded & exudates
 - iv) Laboratory management and maintenance of records
- 3) Introductory knowledge of:-
 - i) Carbohydrate
 - ii) Protein
 - iii) Lipid
- 4) Electrolytes
- 5) Liver function test
- 6) Kidney function test
- 7) Lipid profile
- 8) Analytical Bio-chemistry:-
 - i) Estimation of specific gravity of urine
 - ii) Urinary protein
 - iii) Blood sugar
 - iv) Blood urea
 - v) Serum creatinine
 - vi) Blood cholesterol
 - vii) Serum Bilirubin, SGPT, SGOT
 - viii) Alkaline phosphate
 - xi) Australia antigen

विषय खण्ड-(III)**TECHNICAL ENGLISH :**

1. Grammar and Comprehension :
 - a) Subject verb concord
 - b) Tense
 - c) Voice
 - d) Synthesis
 - e) Common errors
 - f) Vocabulary
 - g) Unseen passage to test language skills
2. Elementary Spoken English (Theory of Phonetics)
3. Sentence and paragraph writing
4. Report Writing :
 - a) Classification, Format and writing of reports
 - b) Mechanics of language
5. Technical Description of things and processes
6. Precis writing
7. Spoken English.

परिशिष्ट-2 (iii)
INDICATIVE SYLLABUS FOR PHARMACY COURSE GROUP OF
BCECE(LE)-2017

विषय खण्ड-(I)

PHARMACEUTICS-I

1. Introduction of different dosage forms, Their classification with examples-their relative applications. Familiarisation with new drug delivery systems.
 2. Metrology-Systems of weights and measures. Calculations including conversion from one to another system. Percentage calculations and adjustments of products. Use of allegation method in calculations, Isotonic solutions.
 3. Metrology-Systems of weights and measures. Calculations including conversion from one to another system. Percentage calculations and adjustments of products. Use of allegation method in calculations, Isotonic solutions.
 4. Packing of Pharmaceuticals-Desirable features of a container-type of containers. Study of glass and plastics as materials for containers and rubber as a material for closures-their merits and demerits. Introduction to aerosol packaging.
 5. Size reduction Objectives, and factors affecting size reduction, methods of size reduction-Study of Hammer mill, Ball mill, Fluid Energy Mill and Disintegrator.
 6. Size separation-Size separation by sifting. Official Standard for powders. Sedimentation methods of size separation. Construction and working of cyclone separator.
 7. Mixing and Homogenisation-Liquid mixing and powder mixing, Mixing of semisolids, Study of Silverson Mixer-Homogeniser, planetary Mixer; Agitated powder mixer; Triple Roller Mill; Propeller Mixer, Colloid Mill and Hand Homogeniser. Double cone mixer.
 8. Clarification and filtration-Theory of filtration, filter media; filter aids and selection of filters. Study of the following filtration equipments-filter Press, Sintered Filters, filter Candles, Metafilter.
 9. Extraction and Galenicals-
 - (a) Study of percolation and maceration and their modification, Continuous hot extraction-Applications in the preparation of tinctures and extracts.
 - (b) Introduction to Ayurvedic dosage forms.
 10. Heat processes Evaporation -Definitions Factors affecting evaporation-Study of evaporating still and Evaporating Pan.
 11. Distillation-Simple distillation and Fractional Distillation; Steam distillation and vacuum distillation. Study of vacuum still, Preparation of Purified Water I.P. and water for Injection I.P. Construction and working of the still used for the same.
 12. Introduction to drying processes-Study of Tray Dryers: Fluidized Bed Dryer, Vacuum Dryer and Freeze Dryer.
 13. Sterilization-Concept of sterilization and its differences from disinfection-Thermal resistance of micro-organisms. Detailed study of the following sterilization process.
 - (i) Sterilization with moist heat.
 - (ii) Dry heat sterilization,
 - (iii) Sterilization by radiation.
 - (iv) Sterilization by filtration and
 - (v) Gaseous sterilization.
- Aseptic techniques. Application of Sterilization processes in hospitals particularly with reference to surgical dressings and intravenous fluids. Precautions for safe and effective handling of sterilization equipments.
14. Processing of Tablets-Definition: different types of compressed tablets and their properties. Processes involved in the production of tablets; Tablets excipients; Defects in tablets. Evaluation of Tablets; Physical Standards including Disintegration and Dissolution. Tablets coating-Sugar coating; Film coating, enteric coating and microencapsulation (Tablets coating may be dealt in an elementary manner.)
 15. Processing of Capsules-hard and soft gelating capsules; different sizes capsules; filling of capsules; handling and storage of capsules, special applications of capsules.
 16. Study of immunological products like sera vaccine toxoids & their preparations.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY-I

1. General discussion on the following inorganic compounds including important physical and chemical properties, medicinal and Pharmaceutical uses, storage conditions and chemical incompatibility.
 - (A) Acids, bases and buffers Boric acid*, Hyd- rochloric acid, strong ammonium hydroxide, Calcium hydroxide, Sodium hydroxide and official buffers.
 - (B) Antioxidants-Hypophosphorous acid, Sulphur dioxide, Sodium bisulphite, Sodium metabisulphite, Sodium thiosulphate, Nitro- gen and Sodium Nitrite.
 - (C) Gastrointestinal agents-
 - (i) Acidifying agents Dilute hydrochloric acid.
 - (ii) Antacids-Sodium bicarbonate, Aluminium hydroxide gel, Aluminium Phosphate, Calcium carbonate, Magnesium carbonate, Magnesium trisilicate, Magnesium oxide. Combinations of antacid preparations.
 - (iii) Protectives and Adsorbents-Bismuth subcarbonate and Kaolin.
 - (iv) Saline Cathartics-Sodium Potassium tartrate and Magnesium sulphate.

- (D) Topical Agents-
- (i) Protectives-Talc, Zinc Oxide, Calamine, Zinc stearate. Titanium dioxide. Silicone poly- mers.
 - (ii) Antimicrobials and Astringents-Hydrogen peroxide", Potassium permanganate, Chlorinated lime, Iodine, Solutions of Iodine, Povidone-iodine, Boric acid, Borax. Silver nitrate, Mild silver protein, Mercury, Yellow mercuric oxide, Ammoniated mercury.
 - (iii) Sulphur and its compounds-Sublimed sulphur precipitated sulphur, selenium sulphide.
 - (iv) Astringents:-Alum and Zinc Sulphate.
- (E) Dental Products-Sodium Fluoride, Stannous Flouride, Calcium carbonate, Sodium metaphosphate, Dicalcium phosphate, Strontium chloride, Zinc chloride.
- (F) Inhalants-Oxygen, Carbon dioxide, Nitrous oxide.
- (G) Respiratory stimulants-Ammonium Carbonate
- (H) Expectorants and Emetics-Ammonium chloride," Potassium iodide, Antimony Potassium tartrate.
- (I) Antidotes-Sodium nitrate.
2. Major Intra and Extracellular electrolytes-
- (A) Electrolytes used for replacement therapy- -Sodium chloride and its preparations, Potas- sium chloride and its preparations.
 - (B) Physiological acid-base balance and electrolytes used-Sodium acetate, Potassium acetate, Sidium bicarbonate injection, Sodium citrate, Potassium citrate, Sodium lactate injection, Ammonium chloride and its injection.
 - (C) Combination of oral electrolyte powders and solutions.
3. Inorganic Official compounds of Iron, Iodine, and Calcium Ferrous Sulfate and Calcium gluconate.
4. Radio pharmaceuticals and Contrast media-Radio activity-Alpha. Beta and Gamma Radiations, Biological effects of radiations, Measurement of radio activity, G. M. Counter Radio isotopes- their uses, storage and precautions with special reference to the official preparations.
Radio opaque Contrast media-Barium sulfate.
5. Quality control of Drugs and Pharmaceuticals- Importance of quality control, significant errors, methods used for quality control, sources of impurities in Pharmaceuticals. Limit tests for Arsenic, chloride, sulphate, Iron and Heavy metals.
6. Identification tests for cations and anions as per Indian Pharmacopoeia

PHARMACOGNOSY

1. Definition, History and scope of Pharmacognosy including indigenous system of medicine.
2. Various systems of classification of drugs of natural origin.
3. Adulteration and drug evaluation; significance of Pharmacopoeial standards.
4. Brief outline of occurrence, distribution, outline of isolation, identification tests, therapeutic effects and pharmaceutical applications of alkaloids, terpenoids, glycosides, volatile oils, tannins and resins.
5. Occurrence, distribution, organoleptic evaluation, chemical constituents including tests wherever applicable and therapeutic efficacy of following categories of drugs.
 - (a) Laxatives : Aloes, Rhuburb, Castor oil, Ispaghula, Senna.
 - (b) Cardiotonics - Digitalis, Arjuna.
 - (c) Carminatives & G.I. regulators - Umbelliferous fruits, Coriander, Fennel, Ajowan, Cardamom Ginger, Black pepper, Asafoetida, Nutmeg, Cinnamon, Clove.
 - (d) Astringents-Catechu.
 - (e) Drugs acting on nervous system-Hyoseyamus, Belladonna, Aconite, Ashwagandha, Ephedra, Opium, Cannabis, Nux vomica.
 - (f) Antihypertensives - Rauwolfia.
 - (g) Antitussives - Vasaka, Tolu balsam Tulsi
 - (h) Antirheumatics - Guggul, Colchicum
 - (i)
 - (j) Antileptotics - Chaulmoogra Oil.
 - (k) Antidiabetics - Pterocarpus, Gymnema, Sylvestro.
 - (l) Diuretics - Gokhru, Punarnava.
 - (m) Antidysentrics - Ipecacuanha
 - (n) Antiseptics and disinfectants Benzoin, Myrrh, Nim, curcuma.
 - (o) Antimalarials - Cinchona
 - (p) Oxytocics-Ergot.
 - (q) Vitamines - Shark liver Oil and Amla.
 - (r) Enzymes-Papaya, Diastase, Yeast.
 - (s) Perfumes and flavouring agents - peppermint Oil, Lemon Oil, Orange Oil, Lemon grass Oil, Sandalwood.
 - (t) Pharmaceuticals aids - Hone, Arachis Oil, Starch, Kaolin, Peetin, Olive Oil, Lanolin, Beeswax, Acacia, Tragacanth, Sodium alginate, Agar, Guar gum, gelatin.
 - (u) Miscellaneous-Liquorice, Garlic, Picrorhiza, Dioscorea, Linseed, Shatavari, Shankhapushpi, Pyrethrum, Tobacco.
6. Collection and preparation of crude drug for the market as exemplified by Ergot, opium, Rauwofia, digitalis, senna.
7. Study of source, preparation and identification of fibres used in sutures and surgical dressings - cotton, sild, wool and regenerated fibre.
8. Gross anatomical studies of Senna, Datura, Cinnamon, Cinchona, fennel, Clove, ginger, Nuxvomica & Ipecacuanha.

BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY

1. Introduction to biochemistry.
2. Brief chemistry and role of proteins, polypeptides and amino acids classification, Qualitative tests, Biological Value. Deficiency diseases.
3. Classification, qualitative tests. Diseases related to carbohydrate metabolism.
4. Brief chemistry and role of Lipids, Classification, qualitative tests. Diseases related to lipids metabolism.
5. Brief chemistry and role of Vitamins and Coenzymes.
6. Role of minerals and water in life processes.
7. Enzymes : Brief concept of enzymic action. Factors affecting it. Therapeutic and pharmaceutical importance.
8. Brief concept of normal and abnormal metabolism of proteins, carbohydrates and lipids.
9. Introduction to pathology of blood and urine.
 - (a) Lymphocytes and Platelets, their role in health and disease.
 - (b) Erythrocytes Abnormal cells and their significance.
 - (c) Abnormal constituents of urine and their significance in diseases.

HUMAN ANATOMY PHYSIOLOGY

1. Scope of Anatomy and Physiology. Definition of various terms used in Anatomy
2. Structure of cell, function of its components with special reference to mitochondria and microsomes.
3. Elementary tissues of the body. i.e. epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue.
4. Structure and function of skeleton. Classification of joints and their function, Joint disorder.
5. Composition of blood, functions of blood elements. Blood group and coagulation of blood. Brief information regarding disorders of blood.
6. Name and functions of lymph glands.
7. Structure and functions of various parts of the heart. Arterial and venous system with special reference to the names and positions of main arteries and veins. Blood pressure and its recording. Brief information about cardiovascular disorders.
8. Various parts of respiratory system and their functions. Physiology of respiration.
9. Various parts of urinary system and their functions, structure and functions of kidney. Physiology of Urine formation. Pathophysiology of renal diseases and oedema.
10. Structure of skeletal muscle. Physiology of muscle contraction. Names, position, attachments and functions of various skeletal muscles. Physiology of neuromuscular junction.
11. Various parts of central nervous system, brain and its parts, functions and reflex action. Anatomy and Physiology of autonomic nervous system.
12. Elementary knowledge of structure and functions of the organs of taste, smell, ear, eye and skin. Physiology of pain.
13. Digestive system; names of the various parts of digestive system and their functions. Structure and functions of "liver", physiology of digestion and absorption.
14. Endocrine glands and Hormones. Locations of the glands, their hormones and functions. Pituitary, thyroid, Adrenal and Pancreas.
15. Reproductive system - Physiology and Anatomy of Reproductive system.

HEALTH EDUCATION AND COMMUNITY PHARMACY

1. Concept of Health-Definition of physical health, mental health, Social health, spiritual health determinates of health, indicators of health, concept of disease, natural history of diseases, the disease agents, concept of prevention of diseases.
2. Nutrition and health-Classification of foods requirements, disease induced due to deficiency of proteins, Vitamins and minerals-treatment and prevention.
3. Demography and family planning-Demography cycle, fertility, family planning, contraceptive methods, behavioural methods, natural family planning method, chemical method, mechanical methods. Hormonal contraceptives, population problem of India
4. First aid-Emergency treatment in shock, snake-bite, burns poisoning, heart disease, fractures and resuscitation methods. Elements of minor surgery and dressings.
5. Environment and health-Sources of water supply, water pollution, purification of water, health and air, noise light-solid waste disposal and control-medical entomology, arthropod borne diseases and their control, rodents, animals and diseases.
6. Fundamental principles of microbiology classification of microbes, isolation, staining techniques of organisms of common diseases.
7. Communicable diseases-Causative agents modes of transmission and prevention.
 - (a) Respiratory infections-Chicken pox, measles Influenza, diphtheria, whooping cough and tuberculosis.
 - (b) Intestinal infections: poliomyelitis, Hepatitis Cholera. Typhoid. Food poisoning, Hook-worm infection.
 - (c) Arthropod borne infections-plague, Malaria, Filariasis.
 - (d) Surface infections-Rabies, Trachoma, Tetanus, Leprosy.
 - (e) Sexually transmitted diseases-Syphilis, Gonorrhoea, AIDS.
8. Non-communicable diseases-Causative agents prevention care and control cancer, Diabetes, Blindness, Cardiovascular diseases.
9. Epidemiology-Its scope, methods, uses, dynamics of disease transmission. Immunity and immunization: Immunological products and their dose schedule. Principles of disease control and prevention, hospital acquired infection, prevention and control. Disinfection, types of disinfection, disinfection procedures, for faces, urine, sputum, room linen dead-bodies, instruments.

विषय खण्ड-(II)**PHARMACEUTICS II**

1. Dispensing Pharmacy:
 - (i) Prescriptions-Reading and understanding of prescription; Latin terms commonly used (Detailed study is not necessary), Modern methods of prescribing, adoption of metric system. Calculations involved in dispensing.
 - (ii) Incompatibilities in Prescriptions - Study of various types of incompatibilities - physicals, chemical and therapeutic.
 - (iii) Posology - Dose and Dosage of drugs, Factors influencing dose, Calculations of doses on the basis of age, sex and surface area. Veterinary doses.
2. Dispensed Medications:

(Note : A detailed study of the following dispensed medication is necessary. Methods of preparation with theoretical and practical aspects, use of appropriate containers and closures, Special labeling requirements and storage conditions should be high-lighted).

 - (i) Powders-Types of powders-Advantages and disadvantages of powders, Granules, Cachets and Tablet triturates. Preparation of different types of powders encountered in prescriptions. Weighing methods, possible errors in weighing, minimum weighable amounts and weighing of material below the minimum weighable amount, geometric dilution and proper usage and care of dispensing balance.
 - (ii) Liquid Oral Dosage Form:
 - (a) Monophasic - Theoretical aspects including commonly used vehicles, essential adjuvant like stabilizers, colourants and flavours, with examples.

Review of the following monophasic liquids with details of formulation and practical methods.

Liquids for Internal
Administration

Liquids for external
administration or used
on mucus membranes.

Mixtures and concentrates
Syrups

Gargles
Mouth washes
Throat-paints
Douches

Elixirs

Ear Drops
Nasal drops & Sprays
Liniments
Lotions.

- (b) Biphasic Liquid Dosage Forms:
 - (i) Suspensions (elementary study)-Suspensions containing diffusible solids and liquids and their preparations. Study of the adjuvants used like thickening -agents, wetting agents, their necessity and quantity to be incorporated. Suspensions of precipitate forming liquids like tinctures, their preparations and stability. Suspensions produced by chemical reaction. An introduction to flocculated) non-flocculated suspension system.
 - (ii) Emulsions-Types of emulsions, identification of emulsion system, formulation of emulsions, selection of emulsifying agents. Instabilities in emulsions. Preservation of emulsions.
 - (iii) Semi-Solid Dosage Forms:
- (a) Ointments - Types of ointments, Classification and selection of dermatological vehicles. Preparation and stability of ointments by the following processes:
 - (i) Trituration (ii) Fusion (iii) Chemical reaction (iv) Emulsification.
- (b) Pastes-Deference between ointments and pastes, bases of pastes. Preparation of pastes and their preservation.
- (c) Jellies-An introduction to the different types of jellies and their preparation.
- (d) An elementary study of poultice.
- (e) Suppositories and pessaries - Their relative merits and demerits, types of suppositories, suppository bases, classification, properties, Preparation and packing of suppositories. Use of suppositories for drug absorption.
- (iv) Dental and Cosmetic Preparations: Introduction to Dentrificcs , Facial cosmetics. Deodorants, Antiperspirants, Shampoos, Hair dressings and Hair removers.
- (v) Sterile Dosage Forms:
 - (a) Parenteral dosage forms-Definitions, General requirements for parenteral dosage forms. Types of parenteral formulations, vehicles, adjuvants, processing, personnel, facilities and Quality control. Preparation of Intravenous fluids and admixtures-Total parenteral nutrition, Dialysis fluids.
 - (b) Sterility testing, Particulate matter monitoring - Faulty seal packaging.
 - (c) Ophthalmic Products-Study of essential characteristics of different ophthalmic preparations. Formulation additives, special precautions in handling and storage of ophthalmic products.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II.

- Introduction to the nomenclature of organic chemical systems with particular reference to heterocyclic system containing up to 3 rings.
- The Chemistry of following Pharmaceutical organic compounds, covering their nomenclature, chemical structure, uses and the important Physical and Chemical properties (Chemical structure of only those compounds marked with asterisk(*)). The stability and storage conditions and the different type of Pharmaceutical formulations of these drugs and their popular brand names.

Antiseptics and Disinfectants - Proflavine*, Benzal- koniumchloride, Cetrimidc, Chlorocresol*, Chloroxylene. Formaldehyde solution, Hexachlorophene , Liquified phenol, Nitrofurantoin.

Sulfonamides-Sulfadiazinc, Sulfaguanidine*,

Phthalylsulfathiazolc , Succinylsulfathiazole, fadimethoxine , sulfamethoxypridazine, methoxazole. co-trirnoxazole. Sulfacetamide*

Antileprotic Drugs-Clofazimine , Thiambutosine. Dapsone*, Solapsone.

Anti-tubercular Drugs-Isoniazid*. PAS* Streptomycin, Rifampicin, ethambutol*, Thiascetazone, Ethionamide, cycloserine, Pyrazinamide*

Antiamoebic and Anthelmintic Drugs-EmetineMetronidazole* Halogenated, Hydroxyquinolines, diloxanidefuxroate, paramomycin piperazinc*, Mebendazole, D.E.C.*

Antibiotics- Benzyle Penicillin*, Phenoxymethyl

Penicillin*. Benzathine penicillin, Ampicillin* Cloxacillin, Carbenicillin, Gentamicin, Neomycin, Erythromycin, Tetracycline, Cephalcxin, Cephaloridine Cephalothin, Griseofulvin, Chloramphenicol.

Antifungal agents-Undecylenic acid, Tolnaftate Nystatin, Amphotericin, Hamycin.

Antimalarial Drugs- Chloroquine* Amodiaquine Primaquine, Proguanil, Pyrimethamine*. Quinine Trimethoprim.

Tranquilizers-Chlorpromazine* Prochlorperazine, Trifluoperazine Thiethixene, Haloperidol*

Triperiod, Oxypertine, Chlordiazepoxide, Diazepam* Lorazepam, Memprobamate.

Hypnotics- Phenobarbitone*, Butobarbitone, Cyclobarbitone, Nitrazepam, Glutethimide, Meghyprylone, Paraldehyde, Triclofos sodium.

General Anaesthetics-Halothane*, Cyclopropane*, Diethyl ether*, Meghohexital sodium, Thiopental sodium, Trichloroethylene.

Antidepressant Drugs-Amitriptyline, Nortriptyline, Imipramine* Phenelzine, Tranylcypramine.

Analeptics-Theophylline, Caffeine*. Coramine* Dextroamphetamine.

Adrenergic Drugs-Adrenaline* Noradrenaline, Isoprenaline*, Phenylephrine, Salbutamol, Terbutaline, Ephedrine*, Pseudoephedrine.

Adrenergic Antagonist- Tolazoline, Propranolol*, Practolol.

Cholinergic Drugs- Neostigmine*, Pyridostigmine pralidoxime, Pilocarpine, Physostigmine*

Cholinergic Antagonists-Atropine* Hyoscine, Homatropine, Propantheline*, Benztropine Tropicamide, Biperiden.*

Diuretic Drugs-Furosemide*, Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide*, Benzthiazide, Urea*, Mannitol*, Ethacrynic Acid.

Cardiovascular Drugs- Ethyl nitrite*, Glyceryl trinitrate, Alpha methyl dopa, Guanethidine, Clofibrate Quinidine.

Hypoglycemic Agents-Insulin, Chlorpropamide*,

Tolbutamide, Glibenclamide, Pheformin*, Metformin.

Coagulants and Anti Coagulants-Heparin thrombin Menadione*, Bishydroxycoumarin, Warfarin Sodium.

Local Anaesthetics-Lignocaine*, Procaine Benzocaine.

Histaminic and Anti-Histaminic Agents-Histamine, Diphenhydramine*, Promethazine, Cyproheptadine, Mephyramine, Pheniramine, Chlorpheniramine*.

Analgesics and Anti pyretics morphin phethidine*, Codeine, Meghadone Aspirin* Paracetamol*, Analgin, Dextropropoxyphene, Pentazocine.

Non-steroidal anti-inflammatory Agents indomethacin*, Phenylbutazone*, Oxyphenbutazone, Ibuprofen, Thyroxine and Antithyroids Thyroxinem, Methimazole, Methylthiouracil Propylthiouracil.

Diagnostci Agents-Iopanoic Acid, Propyliodone, Sulfobromophthalcin.

Sodium Indigotindisulfonate, Indigo Carmine, Evansblue, Congo Red, Fluorescein sodium.

*Anticonvuslants, Cardiac glycosides, Antiarrhythmic antihypertensives & vitamins.

Steroidal Drugs Betamethazone, Cortisone, Hydrocortisone, Prednisolone, Progesterone, Testosterone, Oestradiol Nandrolone.

Anti-Neoplastic Drugs-Actinomycins, Azathioprine, Busulphan, Chlorambucil, Cisplatin cyslophosphamide, Daunorubicin hydrochloride, Fluorouracil, Mercaptopurine, Methotrexate, Mytomycin.

PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY

1. Introduction to Pharmacology, scope of Pharmacology.
2. Routes of administration of drugs, their advantages and disadvantages.
3. Various processes of absorption of drugs and the factors affecting them, Metabolism, distribution and excretion of drugs.
4. General mechanism of drugs action and the factors which modify drug action.
5. Pharmacological classification of drugs. The discussion of drugs should emphasize the following aspect:
 - (i) Drugs acting on the Central Nervous System:
 - (a) General anaesthetics, adjunction to anesthesia, intravenous anaesthetics.
 - (b) Analgesic antipyretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs, Narcotic analgesics, Antirheumatic and antigout re- medics, Sedatives and Hypnotics, Psychopharmacological agents, anti convul- sants, analeptics.
 - (c) Centrally acting muscle relaxants and anti- parkinsonism agents.
 - (ii) Local anaesthetics.
 - (iii) Drug acting on autonomic nervous system.
 - (a) Cholinergic drug, Anticholinergic drugs, anti- cholinesterase drugs.
 - (b) Adrenergic drugs and adrenergic receptor blockers.
 - (c) Neurone blockers and ganglion blockers,
 - (d) Neuromuscular blockers, drugs used in myas- thenia gravis.
 - (iv) Drugs acting on eye, mydriatics, drugs used in glaucoma.
 - (v) Drugs acting on respiratory system-Respiratory stimulants, Bronchodilators, Nasal decongestants, Expectorants and Antitussive agents
 - (v) Antacids, Physiological role of histamine and serotonin, Histamine and Antihistamines, Prostaglandins.
 - (vii) Cardio Vascular drugs, Cardiotonics, Antiarrhythmic agents, Antianginal agents. Antihypertensive agents, Peripheral Vasodilators and drugs used in atherosclerosis.
 - (viii) Drugs acting on the blood and blood forming organs. Haematines, Coagulants and anti-coagulants, Haemostatics, Blood substitutes and plasma expanders.
 - (ix) Drugs affecting renal function-Diuretics and antidiuretics.
 - (x) Hormones and hormone antagonists-hypog- lycaemic agents, Antithyroid drugs, sex hormones and oral contraceptives, corticosteroids.
 - (xi) Drugs acting on digestive system-Carminatives, digestants Bitters, Antacids and drugs used in Peptic ulcer, purgatives, and laxatives, Antidiarrhoeals, Emetics, Anti- emetics, Anti-spasmodics.

Chemotherapy of microbial disease: Urinary anti- septics, Sulphonamides, Penicillins, Streptomycin, Tetracyclines and other antibiotics, Antitubercular agents, Antifungal agents, antiviral drugs, antileprotic drugs.

 7. Chemotherapy of protozoal diseases. Anthelmintic drugs.
 8. Chemotherapy of cancer.
 9. Disinfectants and antiseptics.

A detailed study of the action of drugs on each organ is not necessary.

PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE

1. Origin and nature of Pharmaceutical legislation in India, its scope and objectives. Evolution of the "Concept of Pharmacy" as an integral part of the Health Care System.
2. Principles and significance of Professional Ethics. Critical study of the Code of Pharmaceutical Ethics drafted by Pharmacy Council in India.
3. Pharmacy Act, 1948-The General study of the Pharmacy Act with special reference to Education Regulations, working of State and Central Councils, constitutions of these councils and functions, Registration procedures under the Act.
4. The Drugs and Cosmetics Act, 1940-General study of the Drugs and Cosmetics Act and Rules thereunder. Definitions and salient features related to retail and wholesale distribution of drugs. The powers of Inspectors, The sampling procedures and the procedure and formalities in obtaining licenses under the rule. Facilities to be provided for running a Pharmacy effectively. General study of the Schedules with special reference of schedules C, C1, F, G, J, H, P and X and salient features of labeling and storage condition of drugs.
5. The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954-General Study of the Act Objectives, special reference to be laid on Advertisements. Magic remedies and objectionable and permitted advertisements - disease which cannot be claimed to be cured.
6. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985-A brief study of the act with special reference to its objectives, offences and punishment.
7. Brief introduction to the study of the following acts.
 - i. Latest Drugs (Price Control) Order in force.
 - ii. Poisons Act 1919 (as amended to date)
 - iii. Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (as amended to date)
 - iv. Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (as amended to date)

DRUG STORE AND BUSINESS MANAGEMENT

Part-I Commerce

1. Introduction-Trade, Industry and Commerce, functions and subdivision of Commerce, Introduction to Elements of Economics and Management.
2. Forms of Business Organisations.
3. Channels of Distribution.
4. Drug House Management - Selection of Site, Space lay-out and legal requirements. Importance and objectives of Purchasing, selection of suppliers, credit information, tenders, contracts and price determination and legal requirements thereto. Codification, handling of drug stores and other hospital supplies.
5. Inventory control-objects and importance, modern techniques like ABC, VED analysis, the lead time, inventory carrying cost, safety stock, minimum and maximum stock levels, economic order quantity, scrap and surplus disposal.
6. Sales Promotion, Market Research, Salesmanship, qualities of a salesman, Advertising and Window Display.
7. Recruitment, training, evaluation and compensation of the pharmacist.
8. Banking and Finance Service and functions of bank. Finance Planning and sources of finance.

Part-II Accountancy

1. Introduction to the accounting concepts and conventions, Double entry Book keeping, Different kinds of accounts.
2. Cash Book.
3. General Ledger and Trial Balance.
4. Profit and Loss Account and Balance Sheet.
5. Simple technique of analyzing financial statements.

Introduction to budgeting.

HOSPITAL AND CLINICAL PHARMACY

Part-I : Hospital Pharmacy:

1. Hospital Definition, Function, Classifications based on various criteria, organization, Managements and Health delivery system in India.
2. Hospital Pharmacy:
 - (a) Definition
 - (b) Functions and objectives of Hospital Pharmaceutical services.
 - (c) Location, Layout, Flow chart of material and men.
 - (d) Personnel and facilities requirements including equipments based on individual and basic needs.
 - (e) Requirements and abilities required for Hospital pharmacists.
3. Drug Distribution system in Hospitals:
 - (a) Out-patient services
 - (b) In-patient services-(a) types of services (b) detailed discussion of Unit Dose system, Floor ward stock system, Satellite pharmacy services, Central sterile services, Bed Side Pharmacy.
4. Manufacturing:
 - (a) Economical considerations, estimation of demand.
 - (b) Sterile manufacture-large and small volume parenterals, facilities, requirements, layout production planning, man-power requirements.
 - (c) Non-sterile manufacture-Liquid orals; externals-bulk concentrates.
 - (d) Procurement of stores and testing of raw materials.
5. Nomenclature and uses of surgical instruments and Hospital Equipments and health accessories.
6. P.T.C. (Pharmacy Therapeutic Committee), Hospital Formulary System and their organisation. functioning, composition.
7. Drug Information service and Drug Information Bulletin.
8. Surgical dressing like cotton, gauze, bandages and adhesive tapes including their pharmacopocial tests for quality. Other hospital supply e.g. I. V. sets B.G. sets, Ryals tubes, Catheters. Syringes etc.
9. Application of computer in maintenance of records, inventory control, medication monitoring, drug information and data storage and retrieval in hospital and retail pharmacy establishments.

Part-II: Clinical Pharmacy:

1. Introduction to Clinical Pharmacy Practice-Definition, scope.
2. Modern dispensing aspects-Pharmacists and Patient counselling and advice for the use of common drugs, medication history.
3. Common daily terminology used in the Practice of Medicine.
4. Disease, manifestation and pathophysiology including salient symptoms to understand the disease like Tuberculosis, Hepatitis, Rheumatoid Arthritis, Cardiovascular diseases, Epilepsy, Diabetes, Peptic Ulcer, Hypertension.
5. Physiological parameters with their significance.
6. Drug Interactions:
 - (a) Definition and introduction.
 - (b) Mechanism of Drug Interaction.
 - (c) Drug-drug interaction with reference to analgesics, diuretics, cardiovascular drugs, Gastro intestinal agents, Vitamins and Hypoglycaemic agents.
 - (d) Drug-food interaction.

7. Adverse Drug Reactions:
(a) Definition and Significance.
(b) Drug-induced diseases and Teratogenicity.
8. Drugs in Clinical Toxicity-Introduction, general treatment of poisoning, systematic antidotes. Treatment of insecticide poisoning, heavy metal poison, Narcotic drugs, Barbiturate, Organophosphorus poisons.
9. Drug dependences, Drug abuse, addictive drugs and their treatment, complications.
10. Bio-availability of drugs, including factors affecting it.

विषय खण्ड-(III)

TECHNICAL ENGLISH :

1. Grammer and Comprehension :
 - a) Subject verb concord
 - b) Tense
 - c) Voice
 - d) Synthesis
 - e) Common errors
 - f) Vocabulary
 - g) Unseen passage to test language skills
2. Elementary Spoken English (Theory of Phonetics)
3. Sentance and paragraph writing
4. Report Writing :
 - a) Classification, Format and writing of reports
 - b) Mechanics of language
5. Technical Description of things and processes
6. Precis writing
7. Spoken English.

परिशिष्ट-3 (i)

अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप से सम्बन्धित विकलांग कोटा की अर्हता / योग्यता

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक- वि.प्रा.(II) छात्र-05/2005/420 दिनांक 15.02.2010 के अनुसार तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने हेतु मार्ग-दर्शिका

1. कॉउन्सेलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या- 967 दिनांक 13.05.2010 में वर्णित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल पदाधिकारी / बोर्ड द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो कॉउन्सेलिंग के समय उन्हें चिकित्सकीय जाँच करानी होगी जिसके लिए विहित शुल्क का भुगतान उन्हें करना होगा ।
2. प्राधिकृत मेडिकल पदाधिकारी / बोर्ड के सत्यापन के बाद मेधा-सह-विकल्प के आधार पर निःशक्त व्यक्तियों के लिए समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-966 दिनांक 13.05.2010 के अनुसार 3 % सीट आरक्षण के विरुद्ध, उनकी निःशक्तता के अनुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम (अभियंत्रण धारा) का निर्धारण विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के उपरोक्त पत्र के आलोक में गठित समिति के द्वारा की जायेगी ।
3. विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों एवं पाठ्यक्रम के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र विक्रय तिथि तक लागू निदेशों का पालन किया जायेगा ।
4. उपरोक्त परिशिष्ट-4 के लिये विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति से अभिप्रेत है प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति [भारत का राजपत्र, असाधारण भाग II खंड-1 अध्याय-1 का 1(टी)]

परिशिष्ट-3 (ii)

पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम ग्रुप से सम्बन्धित विकलांग कोटा की अर्हता / योग्यता

In view of the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in C.A. No. 6120/2001 dated 18 Sept., 2002 and with reference to the Medical Council of India letter no. 34(1)/2003-MED/11773 the guidelines for the admission of physically handicapped candidates against 3% reserved seats under Disabled Quota in Medical / Dental / Ayurvedic / Tibbi / Homeopathic / Physiotherapy and Para Medical institution of Bihar are as under:

1. (a) Persons with only locomotory disability of lower limbs between 50% to 70% but otherwise medically fit and having upper limbs fully functional and normal are allowed the benefit of reservation under the disability Act, 1995 for admission against 3% seats of the annual sanctioned intake capacity under Disabled Quota seats to MBBS/ BDS/ PG Medical and other professional medical courses.

Provided that in case any seat in this 3% quota remains unfilled on account of unavailability of candidates with locomotors disability of lower limbs between 50% to 70% then any such unfilled seat in this 3% quota shall be filled up by persons with locomotors disability of lower limbs between 40% to 50% before they are included in annual sanctioned seats for General Category candidates.

Provided further that the entire exercise shall be completed as per the statutory time schedule for admissions and in no case any admission will be made in the MBBS/BDS course after 30th September.

(b) The eligibility Criteria for admissions to persons with locomotors disability of lower limbs will be minimum of 45% marks instead of 50% taken together in qualifying Examination and Competitive Entrance Examination for admission in MBBS course.

2. The visually handicapped and hearing disabled persons are considered invalid and thus ineligible for admission to MBBS / PG Medical and other professional medical courses against Disabled Quota seats.

3. The candidates having locomotory disability involving upper limbs are not eligible for admission to MBBS / PG Medical and other professional medical courses.

4. For availing the benefits of reservation in Disabled Quota, the locomotory disabled candidates with disabilities involving the lower limbs must fulfil the following criteria/ guidelines :-

(a) If the locomotory disability involves only one lower limb, it should not be less than 50% and should not exceed 70%.

(b) If the locomotory disability involves both the lower limbs, the total disability should not exceed 70% with a minimum of 50%.

(c) The disability certificate should be produced by a duly constituted and authorised medical board by the Government of Bihar.

(d) The candidate should have minimum eligibility criteria as per Medical Council of India guidelines and should be otherwise medically fit.

5. The provision of this reservation will be applicable in government as well as non-government aided institutions.

6. The candidates, who are aspiring to get seats under Disabled Quota, should apply expressing their claims for the same along with the valid disability certificate.

7. The candidate, seeking the benefit for reservation under Disabled Quota, should present him/herself before a medical board comprising of atleast one expert / specialist from the speciality of orthopaedics from state medical board in the state of Bihar and obtain a valid disability certificate from the medical board by claiming the benefit of reservation.

8. The disability certificate of the candidate from a medical board shall (i) Give a permanent disability certificate where there are no chances of variation in the degree of disability (ii) Indicate the period of validity in the certificate, in cases where there is any chance of variation in the degree of disability.

9. In case, there are not enough number of Candidates, who qualify themselves for admission against reserved seats under Disabled Quota of any category, the consequent vacant seats should be merged with the seats of respective category.

Note : All above guideline will be subject to latest directions of Medical Council of India / Govt. of Bihar issued from time to time.

परिशिष्ट-4

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्ष्विक प्रवेश)-2017 के लिये जिस OMR उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर अभ्यर्थियों को उत्तर देना है, उसकी जाँच इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। OMR उत्तर पत्रक भरने का तरीका तथा सम्बन्धित निर्देश पृष्ठ 18 पर और OMR उत्तर पत्रक का नमूना पृष्ठ 19 पर दिया जा रहा है ;

1. OMR उत्तर पत्रक भरने का तरीका तथा सम्बन्धित निर्देश :

(क) उत्तर पत्रक पार्ट-I को भरने की प्रक्रिया ;

- उत्तर पत्रक ओ.एम.आर. प्रकार का है जिसे कम्प्यूटर स्कैनर द्वारा पढ़ा जाना है।
- उत्तर पत्रक के पार्ट-1 के निर्दिष्ट स्थानों पर रोल नम्बर / परीक्षा केन्द्र का कोड / परीक्षा पुस्तिका की संख्या आदि को उत्तर-पत्रक पर कम्प्यूटर-संगत प्रक्रिया से भरें। ऊपर के चौकोर खानों में अंक बाल प्वाइंट कलम की नीली / काली स्याही में भरें और सम्बन्धित गोलों को सिर्फ नीली / काली बॉल प्वाइंट पेन से भरें।

उदाहरण : यदि रोल नम्बर 57968225 है, तो

5	7	9	6	8	2	2	5
①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	●	●	②
③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④
●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●
⑥	⑥	⑥	●	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	●	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	●	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨
⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩

एवं

परीक्षा पुस्तिका संख्या 24395 है, तो

2	4	3	9	5
①	①	①	①	①
●	②	②	②	②
③	③	●	③	③
④	●	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	●
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	●	⑨
⑩	⑩	⑩	⑩	⑩

(ख) उत्तर पत्रक पार्ट-II को भरने की प्रक्रिया ;

- प्रश्न बहु-विकल्प प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये विकल्प उत्तरों में से केवल एक ही सर्वाधिक उपयुक्त है। परीक्षार्थी को प्रश्न संख्या के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के सामने के सम्बन्धित गोले को नीली / काली बॉल प्वाइंट पेन से ही रंगना है। अन्यथा उनके उत्तर पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा।

उदाहरण : यदि प्रश्न संख्या 7 के लिए विकल्प 'B' सही उत्तर है, तो प्रश्न संख्या 7 के सामने के सम्बन्धित गोले को नीचे दिखाये गये के अनुसार रंगना है :-

Q. No. 1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
Q. No. 2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
.....	•	•	•	•
.....	•	•	•	•
Q. No. 7	Ⓐ	●	Ⓒ	Ⓓ

- (क) उपरोक्त क्रम (ख) में बताये गये अनुसार गोले को नीली / काली बॉल प्वाइंट पेन द्वारा ही रंगना है।
(ख) गोले को पूर्णरूप से भरा एवं रंगा होना चाहिए।

(ग) सही उत्तर से सम्बन्धित केवल एक ही गोले को रंगा जाना चाहिए जैसा नीचे दिखाया गया है :

सही : (A) ● (C) (D)
 गलत : (A) ● ● (D) या (A) ● (C) (D) या (A) ● (C) (D) या (A) ● (C) (D)
 गलत : (A) ● ● (D) या (A) ● (C) (D) या (A) ● ● (D) या (A) ● ● (D)

(घ) उपयुक्त गोले को नीली / काली बॉल प्वाइंट कलम से रंगने से पहले अभ्यर्थी यह पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि वे उत्तर के लिए सर्वाधिक सही गोले को रंग रहे हैं क्योंकि गोले को रंगने में कोई परिवर्तन करना वर्जित है। उत्तर पत्रक में रंगे गये गोले को रबर या सफेद द्रव से मिटाने की अनुमति नहीं दी गयी है क्योंकि उत्तर पत्रक को मशीन द्वारा मूल्यांकित किया जाना है और ऐसा करने पर मूल्यांकन में त्रुटि हो जा सकती है।

(ङ) यदि एक से अधिक गोले को नीली / काली बॉल प्वाइंट कलम से रंगा जायगा या उत्तर किसी अन्य प्रकार से अथवा ऊपर दिखाये गये गलत तरीकों से व्यक्त किया जायेगा तो उसे गलत करार दिया जायेगा।

3. किसी प्रकार का कच्चा काम उत्तर पत्रक पर नहीं करना है। इस परीक्षा पुस्तिका में इसके लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है, उसी पर कच्चा काम करें।
4. उत्तर पत्रक पर छपे "बार कोड" पर किसी तरह का निशान आदि न बनायें या इसे किसी तरह न विकृत करें और न विकृत होने दें अन्यथा परीक्षार्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
5. उत्तर पत्रक के पार्ट-1 के अतिरिक्त उस पर किसी अन्य स्थान पर किसी प्रकार का निशान न बनायें या न छोड़ें अन्यथा यह उम्मीदवारी के लिए अयोग्यता करार दी जा सकती है।
6. ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के पार्ट-1 के पृष्ठ में अंकित गद्यांश को निदेशानुसार अपनी हस्तलिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करें। हस्तलिपि जाँच के लिए यह अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आपके उत्तर पत्रक / उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जायेगा।
7. उत्तर पत्रक की जाँच इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से की जायेगी। गलत तरीके से गोलों को रंगने के कारण उत्तर को गलत मान लेने का पूरा उत्तर दायित्व परीक्षार्थी का होगा।
8. इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, लॉगबुक, स्लाइड रूल या किसी प्रकार के संचार उपकरणों तथा मोबाइल फोन, पेजर आदि का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित है।
9. अगर आपने ओ.एम.आर. के उत्तर पत्रक के पृष्ठ भाग में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया तो आपका उत्तर पत्रक रद्द किया जा सकता है जिसके लिए आप स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2. OMR उत्तर पत्रक का नमूना :

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्ष्विक प्रवेश)-2017 परीक्षा के लिये उत्तर पत्रक का मार्गदर्शक नमूना मात्र है। वास्तविक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या एवं अन्य निदेश/ विवरण भिन्न हो सकते हैं।

PART - 1		PART - 2			
NAME OF THE CANDIDATE		NOTE: Please do read the instructions given overleaf very carefully before filling the OMR answer sheet.			
		OMR उत्तर पत्रक को भरने के पहले पिछले पृष्ठ पर दिये गये निर्देशों को सावधानी पूर्वक अवश्य पढ़ लें।			
CENTRE CODE	COURSE GROUP	ANSWERS			
	LE	MATHEMATICS	ENGG. MECHANICS	ENGLISH	
BOOKLET NO.		1	51	101	
		2	52	102	
		3	53	103	
		4	54	104	
		5	55	105	
		6	56	106	
		7	57	107	
		8	58	108	
		9	59	109	
		10	60	110	
		11	61	111	
		12	62	112	
		13	63	113	
		14	64	114	
		15	65	115	
		16	66	116	
		17	67	117	
		18	68	118	
		19	69	119	
		20	70	120	
		21	71	121	
		22	72	122	
		23	73	123	
		24	74	124	
		25	75	125	
		26	76	126	
		27	77	127	
		28	78	128	
		29	79	129	
		30	80	130	
		31	81	131	
		32	82	132	
		33	83	133	
		34	84	134	
		35	85	135	
		36	86	136	
		37	87	137	
		38	88	138	
		39	89	139	
		40	90	140	
		41	91	141	
		42	92	142	
		43	93	143	
		44	94	144	
		45	95	145	
		46	96	146	
		47	97	147	
		48	98	148	
		49	99	149	
		50	100	150	

IF A CANDIDATE TAMPERERS WITH THE BARCODE, HE / SHE WILL BE DECLARED DISQUALIFIED.

यदि उम्मीदवार इस का कोड को किसी प्रकार बिना बदले है तो उसे उत्तर पत्रक का दिया जायेगा।

1869

Full Signature of the Candidate
परीक्षार्थी का पूरा हस्ताक्षर

(अंग्रेजी में)

(हिन्दी में)

"Certified that the above entries are checked and found correct."

Signature of Invigilator 1

Signature of Invigilator 2

हस्ताक्षरित सावधानी निर्देश

पीछे पृष्ठ पर अंकित गद्यांश को निर्देशानुसार अपनी हस्ताक्षरित में पूर्ण रूप से लिख कर हस्ताक्षरित करना अनिवार्य है अन्यथा आपके उत्तर पत्रक / उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट-5

Schedule Programme for admissions to Engineering courses as notified by All India Council for Technical Education, New Delhi vide Advt. no.Legal/12(06)/2012

Sl.	Event / Programme	Schedule
1.	Conduct of Entrance Examination (AIEEE/ State CET/Mgt. quota exams etc.)	In the month of May
2.	Declaration of Results of Qualifying Examination (12th Exam or similar) and Entrance Examination	On or before 5th June
3.	1st round of counselling / admission for allotment of seats	To be completed on or before 30th June
4.	2nd round of counselling / admission for allotment of seats	To be completed on or before 10th July
5.	Last round of counselling / admission for allotment of seats	To be completed on or before 20th July
6.	Last date for admitting candidates in seats other than allotted above	30 July. However, any number of rounds for counselling could be conducted depending on local requirements, but all the rounds shall be completed before 30th July
7.	Commencement of academic session	1st August
8.	Last date up to which students can be admitted against vacancies arising due to any reason (no student should be admitted in any Institution after the last date under any quota)	15th August

परिशिष्ट-6

BIHAR COMBINED ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION BOARD

BCECE(LE)-2017**PHOTO-SHEET**

**PASTE YOUR POST CARD SIZE PHOTOGRAPH ON THIS SHEET AND IT
MUST BE HANDED OVER TO THE INVIGILATOR
AT THE EXAMINATION CENTRE**

AFFIX YOUR POST CARD SIZE
PHOTOGRAPH HERE

Name of the Candidate	:	Course Group	:
Registration No.	:	Roll No.	:
Father's Name	:	Date of Birth	:
Gender (Male/Female)	:	Examination Centre Code	:
Category (Gen/SC/ST/EBC/BC)	:		

Date :

Signature of Candidate in Hindi_____
Signature of Candidate in English**Signature of Invigilator**

फार्म-३

माडल प्रपत्र
(निवास / आवासीय प्रमाण-पत्र)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति ग्राम / नगर

पोस्ट थाना प्रखण्ड

अनुमण्डल..... जिला राज्य के स्थायी निवासी हैं ।

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)

स्थान

दिनांक

**माडल प्रपत्र
(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)**

कार्यालय का नाम

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी

पुत्र / पुत्री गाँव / शहर

पोस्ट ऑफिस थाना अनुमण्डल

जिला राज्य समुदाय के सदस्य हैं,

जो कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जाति

एवं अनुसूचित जनजाति सूची (मॉडिफिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन)

अधिनियम, 1976 एवं समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूची में अनुक्रमांक

पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / कुमारी पुत्र/पुत्री

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका परिवार

गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस थाना

अनुमण्डल जिला राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

**माडल प्रपत्र
(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)**

कार्यालय का नाम

पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति / श्री ग्राम / नगर

प्रखण्ड पोस्ट थाना

अनुमण्डल जिला राज्य

समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के

अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक

पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका परिवार

गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस

थाना अनुमण्डल जिला

राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

फार्म-5

माडल प्रपत्र
(आय प्रमाण पत्र के लिये)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति ग्राम / नगर

पोस्ट थाना प्रखण्ड

अनुमण्डल..... जिला राज्य एवं उनके परिवार की
कुल वार्षिक आय निम्नांकित है :-

सरकारी सेवा से आय -
व्यवसाय से आय -
कृषि से आय -
अन्य स्रोतों से आय -
कुल आय (वार्षिक) -

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)
बिहार राज्य

स्थान

दिनांक

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश) - 2017

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश) के आधार पर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु
स्नातक स्तरीय अभियंत्रण / पारा मेडिकल पाठ्यक्रम / फार्मैसी डिग्री पाठ्यक्रम :

आवश्यक

1. Online भरे हुए आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) की Downloaded hard copy के साथ Paid बैंक चालान एवं निर्दिष्ट अनुलग्नकों को रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से भेजना आवश्यक है ।
2. रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर "APPLICATION FOR BCECE(LE)-2017", कोर्स ग्रुप का नाम एवं निबन्धन संख्या अवश्य लिखें ।
3. (क) Registered अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form को
अंतिम रूप से भरने की अंतिम तिथि : **26.04.2017 (5.00 P.M.)**
(ख) सभी वांछित अनुलग्नकों के साथ आवेदन प्रपत्रों की Hard
Copy रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से प्राप्ति की अन्तिम तिथि : **16.05.2017**
4. परीक्षा की तिथि : **11.06.2017**
5. आवेदन पत्र एवं विवरण पुस्तिका का मूल्य
तथा किसी एक पाठ्यक्रम समूह की परीक्षा
के लिये परीक्षा-शुल्क : देखें इस विवरण पुस्तिका की कंडिका-7

दूरभाष संख्या- 0612-2220230, फ़ैक्स- 0612-2224346

Website : www.bceceboard.com